सहज®

वित्तीय वर्ष
2022-23

नौवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

+F
FORTIFIED
Saahaj®
Vitamin-A
Prevents Night Blindness
Vitamin-D
Supports Strong Bones
किसानो की अपनी कम्पनी
स्वाद व शुद्धता की
23 क्वालिटी टेस्ट द्वारा पास
नई वैरायटी
आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए
Saahaj
GOLD
Saahaj
CHAI SPECIAL
Saahaj
SHAKTI
Saahaj
TAAZA
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिल्क प्राइयूसर कम्पनी
क्रॉस रोड मॉल, 2nd फ्लोर, प्लाट नं. 5-6, सेक्टर-13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना,
सिकन्दरा-बोदला रोड, आगरा-282007 (उ0प्र0)
टोल फ्री नंबर- 18002740077
www.saahajmilk.com
दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी

निदेशक मण्डल

श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. 07894245)	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230)	निदेशक
श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050)	निदेशक
श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08526410)	निदेशक
श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. 08526498)	निदेशक
श्री अनरूद्ध कुमार (डी.आई.एन. 08865032)	निदेशक
श्रीमती सपना (डी.आई.एन. 08865085)	निदेशक
श्रीमती प्रेमलता (डी.आई.एन. 08867165)	निदेशक
श्री सुशील कुमार (डी.आई.एन. 09300081)	निदेशक
श्री मानिक चन्द्र (डी.आई.एन. 09679787)	निदेशक
श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. 09680147)	निदेशक
श्री सौगता मित्रा (डी.आई.एन. 00541858)	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. संजय कुमार गोवानी (डी.आई.एन. 08814861)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री बसन्ता चौधरी (डी.आई.एन. 08277954)	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कंपनी सचिव

श्री वरूण वर्मा

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

एच.डी.एफ.सी. बैंक, अलीगढ़
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आगरा
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आगरा
ऐक्सिस बैंक, आगरा
एच.डी.एफ.सी. बैंक, आगरा
पंजाब नेशनल बैंक, आगरा

पंजीकृत कार्यालय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com
Website : www.saahajmilk.com

आंतरिक अंकेक्षक

अर्न्स्ट एण्ड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स

बीटल फाइनेन्शियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.
बीटल हाउस, तृतीय तल
99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष सन्देश	3
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	4–30
3.	स्वतन्त्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	31–45
4.	वित्तीय विवरण 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक	46–72
	(अ) आर्थिक चिट्ठा	46
	(ब) लाभ–हानि विवरण	47
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	48
	(द) नोट्स जो की वित्तीय विवरण का हिस्सा है	49–72
	संलग्नक : दसवीं वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं सम्बन्धित अनुलग्नक	73–92

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि

मूल्य

★ ईमानदारी

★ दूरदर्शिता

★ गुणवत्ता

★ पारदर्शिता

★ टीम-भावना

★ साहस और जुनून

★ जागरूकता और जिम्मेदारियाँ सभी स्तर पर

★ समय तत्परता

ध्येय

सहज दुग्ध उत्पादक संस्था अपने सदस्यों के दूध की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत देते हुए और दूध उत्पादन बढ़ाने तथा लागत खर्च कम करने के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए उनके दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि

सहज दुग्ध उत्पादक संस्था दूध व्यवसाय के क्षेत्र में देश की अग्रणी कम्पनी होगी तथा दूध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

अध्यक्ष संदेश

प्रिय अंशधारकों,

इस संचार के माध्यम से हमें हमारी कम्पनी के नौवें वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रदर्शन के बारे में सूचित करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

तमाम रूकावटों के चलते हमारी टीम के सदस्यों और हितधारकों की मजबूत प्रतिबद्धता के कारण कंपनी ने रू. 819.57 करोड़ का कारोबार हासिल किया। दुर्भाग्य से, दूध की कम मात्रा, मौसमी संबंधी कारकों, गांठदार त्वचा रोग आदि के कारण, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022–2023 में रू. (4.01) करोड़ का नुकसान हुआ है।

आपके निदेशक उन सदस्यों को लाभांश की अनुशंसा करते हुए प्रसन्न हैं, जिसके नाम 31 मार्च, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है।

कंपनी ने अपने सक्रिय उत्पादक सदस्यों को रू. 1.42 करोड़ का लॉयल्टी प्रोत्साहन दिया है, जिन्होंने निर्धारित मानदंडों के अनुसार सदस्यता की सभी शर्तें पूरी की हैं। कंपनी ने किसानों को कंपनी का उत्पादक सदस्य बनाकर उन्हें प्रेरित करने का काम किया है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में छोटे डेयरी किसानों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया।

इसके अलावा, कंपनी के ''सहज सुदाना'' ब्रांड नाम के तहत पशु आहार और ''सहज मिन'' ब्रांड नाम के तहत क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण को इसके परिचालन क्षेत्र से योग्य प्रतिक्रिया मिली और कंपनी ने पशु आहार और खनिज मिश्रण के लिए क्रमशः 7,638 मीट्रिक टन और 44 मीट्रिक टन की बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 36 मीट्रिक टन चारा बीजों की बिक्री भी दर्ज की। इससे दूध उत्पादकों और किसानों के दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिली है।

कंपनी ने 95,945 की सदस्यता हासिल की है, जिसमें महिला सदस्यता की भागीदारी 51,807 थी, जो लगभग 54% है क्योंकि हमारा मानना है कि ''महिलाएं हर घर की रीढ़ हैं और अगर उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिलता है तो हमेशा आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं।''

कंपनी के दूध और दूध उत्पाद धीरे–धीरे परिचालन क्षेत्र में लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे ही हम एक नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य बिक्री और विपणन संरचना को मजबूत करना और अपने बिक्री और वितरण नेटवर्क के संदर्भ में अपनी पहुंच का विस्तार करना है। कंपनी पॉली पाउच दूध, बटर मिल्क, दही और घी की अपनी मजबूत उत्पाद श्रृंखला के साथ अपने परिचालन क्षेत्र में लोकप्रिय ब्रांडों में से एक बनने की राह पर है। बाजार पर कब्जा जमाने के दृढ़ संकल्प के साथ कंपनी अपने ग्राहकों को किफायती मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 38,586 लीटर/दिन की पीपीएम की बिक्री, 2,201 लीटर/दिन छाछ की और 4,432 किलोग्राम/दिन दही की बिक्री की है और 970 मीट्रिक टन घी बेचा है।

एक बार फिर मैं, आपका कंपनी पर विश्वास और आपके निरंतर समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

हम सदैव आपके बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन के लिए तत्पर हैं।

आपका विश्वसनीय
ह./–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की नौवीं रिपोर्ट

निदेशकों को आपके समक्ष 31 मार्च, 2023 तक अंकेक्षित विवरण के साथ कंपनी के संचालन सम्बन्धी नौवीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन :

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है :

रू. करोड़ में

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
कुल आय	819.57	834.18
खर्च सहित कुल लागत	823.81	822.82
कर से पूर्व लाभ/हानि	(4.24)	11.37
कर व्यय		
(1) वर्तमान कर	–	3.30
(2) पिछले वर्ष का अतिरिक्त कर प्रावधान	(0.11)	–
(3) स्थगित कर	(0.12)	(0.28)
कुल कर खर्च	(0.23)	3.02
लाभ / (हानि) कर के बाद	(4.01)	8.35

हमें यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने रू. 814.36 करोड़ के कारोबार के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कंपनी का कुल राजस्व रू. 819.57 करोड़ दर्ज हुआ है तथा पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व रू. 834.18 करोड़ दर्ज हुआ है था। पिछले वर्ष व्यय सहित कुल लागत रू. 822.82 करोड़ थी तथा इस वर्ष व्यय सहित कुल लागत रू. 823.81 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ / (हानि) पीबीटी रू. (4.24) करोड़ हुआ है और कर पश्चात लाभ (हानि) पैट रू. (4.01) करोड़ का हुआ है। अंश जिसका अंकित मूल्य रू. 100 है, उसकी प्रति अंश आय रू. (14.93/–) है जो कि कुल पूँजी रू. 28.56 करोड़ लाख के आधार पर है।

सीमित लाभांश (डिविडेंड) :

कंपनी के पास सदस्यों को अंश पूँजी पर लाभांश की घोषणा का एक सुसंगत ट्रैक रिकार्ड है। आपकी कंपनी के निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2022–23 की हानि को देखते हुये रू. 6.01 करोड़ मुक्त संचय से अवशेषित किया तथा 18 अगस्त, 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में रू. 28.56 करोड़ की अंश पूँजी पर रू. 7 प्रति अंश, कुल रू. 2 करोड़ के लाभांश का सुझाव दिया गया। दसवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31.03.2023 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

सामान्य संचय में हस्तांतरण :

आपकी कंपनी के निदेशक वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए घाटे (हानि) के कारण किसी भी राशि को सामान्य संचय में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव नहीं रखते है।

दृष्टिकोण

वर्ष 2022–23, दुग्ध व्यवसाय के लिए बड़ा ही अप्रत्याशित था। महामारी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे ठीक हो रही और डेयरी क्षेत्र में भी कुछ सकारात्मक वृद्धि देखी गई, हालांकि मवेशियों के बीच एल.एस.डी. (लम्पी त्वचा रोग) नामक वायरस के प्रकोप के रूप में वृद्धि को झटका लगा। इस वायरस ने भारत के उत्तरी राज्यों में कहर बरपाया, जिससे मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु हुई।

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही में दूध और दूध उत्पादों की माँग बढ़ने लगी, व दूध उत्पादन कम होने के कारण दूध की कमी भी परिलक्षित हुई। हालाँकि भारत सरकार के प्रयासों और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हुई और वर्ष के आखरी महीनों में धीरे–धीरे सुधार होने लगा।

इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारी वर्षा हुई, जिसके कारण हरे चारे का उत्पादन कम हुआ, जिससे दूध उत्पाद की लागत बढ़ गई। किसानों को अधिक लागत पर चारे की व्यवस्था करनी पड़ी जिसके कारण कई मामलों में अल्पपोषण की स्थिति उत्पन्न हुई।

उपरोक्त कारकों ने दूध उत्पादन को प्रमुख रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप कम दूध उपार्जन के कारण कंपनी की परिचालन लागत पर असर पड़ा। तमाम चुनौतियों के बावजूद कंपनी अपने सदस्यों को कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करने की दिशा में काम करती रही। कंपनी ने अपने सदस्यों को लाभकारी दरों की पेशकश जारी रखी और पशु ऋण के वितरण के लिए अपने सदस्यों

को एचडीएफसी बैंक के साथ जोड़ा। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में पशु क्रय हेतु 22 करोड़ रूपये कुल राशि वितरित की गयी।

खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद संस्था ने अपने सदस्यों को रू. 1.42 करोड़ सीधे बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि देकर प्रोत्साहित करना जारी रखा। कंपनी अपनी उत्पादकता वृद्धि सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही है जिसके तहत वह अपने सदस्यों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाएं, पशु चारा, चिलेटेड क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण और चारा बीज प्रदान कर रही हैं।

कंपनी अपनी बिक्री और विपणन सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रही है और संस्था की छवि निर्माण हेतु सतत प्रयासरत है।

संचालन अवलोकन

दूध की खरीद

संस्था की दूध खरीद गतिविधियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में फैली हुई हैं। कंपनी ने 15 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, 371 बीएमसी और 3,100 सक्रिय मिल्क पूलिंग पॉइंट्स का एक मजबूत मिल्क चिलिंग नेटवर्क स्थापित किया है, जिसने अपने पंजीकृत सदस्यों से औसतन 418 टीकेजीपीडी दूध खरीदने और एमडीएफवीपीएल और तीसरे पक्ष के संयंत्र को आगे की प्रक्रिया अर्थात ''सहज'' ब्रांड में पीपीएम पैकिंग के लिए भेजने में मदद की है।

दूध उपार्जन के लिए वित्त वर्ष 2022–23 की शुरूआती तीन तिमाहियां बहुत चुनौतीपूर्ण थीं क्योंकि सीज़न में मवेशियों में लम्पी त्वचा रोग और उच्च चारा लागत ने पशु पालन को प्रभावित किया, जिसने कंपनी की दूध उपार्जन मात्रा पर गहरा प्रभाव डाला। उपरोक्त कारकों के कारण लगभग हर दो–तीन महीने में उत्पादक कीमतों में बढ़ोतरी हुई। दूध उपार्जन टीम ने हमेशा एक स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा और प्रभावी मूल्य निर्धारण तंत्र के साथ कंपनी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम रही और पूरे वर्ष प्रतिस्पर्धी बनी रही। इसके अलावा टीम ने बंद एमपीपी को पुनर्जीवित करने, नई सदस्यता और गैर–सदस्यों के साथ घर–घर संपर्क स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए।

महंगे चारे की चुनौती से निपटने के लिए, संस्था ने ब्रांडेड कंपनियों से अच्छी गुणवत्ता वाले चारे के बीज प्राप्त करने और उसे अपने पंजीकृत सदस्यों को किफायती मूल्य पर बेचने की पहल की। गुणवत्ता वितरित बीजों से चारे का उत्पादन अधिक हुआ जिससे कुल मिलाकर उत्पादन लागत में कमी लाने में मदद मिली। संस्था की दूध खरीद टीम ने विभिन्न लागत बचत उपाय करने की पहल की। प्रमुख प्रयासों

में से एक मिल्क वैन की लागत को कम करना था, जिसमें मार्ग अनुकूलन सॉफ्टवेयर की मदद से 2,052 किमी/दिन की कमी हुई, जिसका अर्थ है एक साल में लगभग रू. 66 लाख परिवहन लागत में कमी आएगी।

भविष्य का लक्ष्य

वित्त वर्ष 2022–23 में आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए नए जोश और उत्साह के साथ, संस्था ने अपनी दूध उर्पाजन बढ़ाने की परिकल्पना की है और अपने पंजीकृत सदस्यों से 5.35 लाख किलोग्राम प्रतिदिन की दैनिक औसत दूध खरीद का लक्ष्य रखा है। कंपनी अपनी दूध उपार्जन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए (भारत सरकार के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) – 'सहकारिता के माध्यम से डेयरी (जेआईसीए सहायता प्राप्त परियोजना) के तहत मौजूदा क्षेत्र में नए 700 गांवों को जोड़ने की योजना बना रही है। सहज जैसी पारदर्शी और कुशल संस्था के दायरे में लाकर अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

कृत्रिम गर्भाधान

सहज में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी योजना I और II के दौरान विश्व बैंक और एनडीडीबी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों में से एक है। कंपनी एनडीडीबी–डीएम द्वारा प्रबंधित अत्याधुनिक वीर्य स्टेशन अर्थात् ''सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स'' से ही उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य की खरीद सुनिशिचत करती है और अपने पेशेवर और प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (एमएआईटी) के माध्यम से उत्पादक किसानों के घर पर उपलब्ध कराती है।

कंपनी की गुणवत्तापूर्ण सोर्सिंग और मानक संचालित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के कारण सहज के माध्यम से कृत्रिम गर्भधान की मांग साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी एक मजबूत कोल्ड चेन के अन्तर्गत वीर्य का वितरण सुनिश्चित करती है जो शुक्राणु की गतिशीलता बनाये रखती है जिससे गर्भधारण की दर बढ़ जाती है। यहाँ यह उल्लेख करना स्पष्ट होगा कि एसएमपीसीएल में गर्भधारण दर लगभग 45 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 5,485 गांवों में अपनी कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान की और अपने कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से 5.48 लाख एआई की।

एसएमपीसीएल ने एनडीडीबी द्वारा शुरू किए गए थनैला नियंत्रण कार्यक्रम (एमसीपीपी) को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह कार्यक्रम थनैला सहित गोवंश में अन्य सामान्य बीमारियों के इलाज के दौरान लागत प्रभावी दृष्टिकोण अपनाने पर केंद्रित है। एथनो वेटरनरी मेडिसिन (ईवीएम) के नाम से

मशहूर यह कार्यक्रम विभिन्न पशु रोगों के इलाज के लिए कम लागत वाला समाधान है। यह दूध में प्रतिजैविक अवशेषों को कम करने में भी मदद करता है क्योंकि इसमें महंगी प्रतिजैविक दवाओं के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है।

वर्ष के दौरान एमसीपीपी के तहत 798 पशुओं का थनैला और 1,155 पशुओं का अन्य बीमारियों के लिए इलाज किया गया, जिनमें ठीक होने की दर क्रमशः 80% और 76% थी।

वित्त वर्ष 2023–24 में आगे बढ़ते हुए कंपनी का लक्ष्य 5.86 लाख कृत्रिम गर्भाधान करना और ईवीएम कार्यक्रम के कवरेज को बढ़ाना है।

आहार संतुलन कार्यक्रम

सहज में आहार संतुलन कार्यक्रम एक स्थापित कार्यक्रम रहा है क्योंकि कंपनी द्वारा अपने सदस्य किसानों के दरवाजे पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला पशु आहार और खनिज मिश्रण उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास के कारण कार्यक्रम ने अब अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं।

यहां यह उल्लेख करना स्पष्ट होगा कि पोषण संबंधी सैकड़ों बीमारियाँ हैं जो पशुओं को प्रभावित करती हैं। इनमें से अधिकतर बीमारियाँ या तो कुपोषण या खनिज आर विटामिन की कमी के कारण होती हैं। कमी और कुपोषण जानवरों की वृद्धि, विकास और उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं और कुछ चरम मामलों में यह अपरिवर्तनीय स्वास्थ्य स्थितियों, विकारों या यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा पशुओं में कम खुराक देने से प्रजनन अंग अल्प विकसित/अविकसित हो जाते है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और दो ब्यॉंत के बीच की अवधि बढ़ जाती है, जिससे पशु की समग्र उत्पादकता प्रभावित होती है।

सहज के परिचालन क्षेत्र में अधिकांश किसान पुरानी भोजन पद्धतियों का सहारा लेते हैं और उन्हें सहज के पशु आहार और खनिज मिश्रण का उपयोग करने के लिए शिक्षित करने की बहुत बड़ी गुँजाईश है जिससे वे अपने डेयरी व्यवसाय से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सहज ने बीआईएस मानक के अनुसार बेहतर गुणवत्ता वाले पशु आहार जैसे ''सहज सुदाना'',''सहज सुदाना गोल्ड'' और क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण ''सहज मिन'' पेश किया और इसे अपने सदस्यों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 7,638 मीट्रिक टन पशु आहार, 44 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण और 36 मीट्रिक टन चारा बीज की बिक्री हासिल की।

वित्त वर्ष 2023–24 में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने 11,360 मीट्रिक टन पशु आहार, 54 मीट्रिक टन क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण और 50 मीट्रिक टन चारा बीज बेचने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, कंपनी ने

किसानों के दरवाजे तक खनिज मिश्रण की पहुंच सुनिश्चत करने के लिए, पशु आहार के प्रत्येक बैग में खनिज मिश्रण का 1 किलो का पैकेट रख दिया है जो समग्र रूप से बेहतर पशु स्वास्थ्य सुनिश्चत करने, प्रजनन संबंधी समस्याओं में कमी और दूध की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

बिक्री एवं विपणन

कंपनी वर्ष 2016 से अपना दूध ''सहज'' ब्रांड नाम के तहत पॉली पैक में बेचती है। प्रतिस्पर्धी दरों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दूध और दूध उत्पाद उपलब्ध कराने के अपने ईमानदार प्रयासों के कारण यह ब्रांड अब एक जाना माना नाम है। कंपनी सीधे किसान सदस्यों से ताजा दूध खरीद रही है और फिर उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाए रखते हुए इसे संसाधित और स्वच्छ परिस्थितियों में पैक किया जाता है। फिर दूध और दूध उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड वैन में भेजा जाता है जो उत्पादों की ताजगी और शेल्फ जीवन को बनाए रखने में मदद करती हैं।

कंपनी की बिक्री और विपणन टीम विभिन्न उपभोक्ता समूहों को संबोधित करते हुए विभिन्न प्रकार की विपणन और प्रचार गतिविधियों में संलग्न है।

''सहज'' ब्रांड वर्तमान में सामान्य व्यापार में एक लोकप्रिय नाम है और साथ ही यह अपने उपभोक्ताओं के बीच भी प्रसिद्ध होता जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न SKU में विभिन्न उत्पादों को प्रभावी ढंग से लॉन्च किया है। कंपनी ने विभिन्न एटीएल (लाइन के ऊपर) और बीटीएल (लाइन के नीचे) अभ्यासों के माध्यमों जैसे पेपर विज्ञापन, वॉल पेंटिंग, ऑटो बैक बैनर, रिटेलर नॉन–लिट साइनेज बोर्ड, बैनर और पोस्टर आदि से ब्रांड उन्नति में प्रचुर मात्रा में योगदान दिया है। कंपनी ने इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपने दूध और दूध उत्पादों की पैकेजिंग को नया रूप दिया है।

कंपनी की बिक्री सामग्री जैसे बैनर, पैम्पलेट आदि के लिए विभिन्न डिज़ाइन विकसित किए हैं और सहज ब्रांड के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए बाजार में स्थापित करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कैनोपी भी विकसित की थी और ब्रांड जागरूकता के हिस्से के रूप में विभिन्न बाजारों में घर–घर और अन्य अभियानों का संचालन करते समय इसका उपयोग किया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के केंद्रित प्रयासों से उसकी सभी श्रेणियों में बड़े पैमाने पर दूध और दूध उत्पादों की बिक्री हासिल करने में मदद मिली और नीचे दी गई तालिका हर श्रेणी के तहत बिक्री उपलब्धि बताती है :

खंड	इकाई	बिक्री
पीपीएम	एलपीडी	38586
छाछ	एलपीडी	2201
दही	किलोग्राम प्रतिदिन	4432
घी	किलोग्राम प्रतिदिन	970

आगे चलकर कंपनी विभिन्न शहरी क्षेत्रों/डोमेन में अपना दायरा बढ़ाने का इरादा रखती है। कंपनी मार्केट से शुरू होने वाले डोर टू डोर सर्वे और खुले दूध (प्रसंस्कृत) की बिक्री जैसी उन्नत विज्ञापन विधियों को शुरू करके अपने उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

कंपनी अपने उपभोक्ताओं को, अपने किसान सदस्यों से प्राप्त सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दूध से तैयार उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान कर रही है। सहज दूध और दूध उत्पादों का विवरण और मुख्य विशेषताऐं नीचे दी गई हैं।

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियाँ
गोल्ड	फुल क्रीम मिल्क	6% वसा/9% वसा रहित ठोस	225 मि.ली., 1 ली. तथा 6 ली.
फैमिली	स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क	4.5% वसा/8.8% वसा रहित ठोस	500 मि.ली.
ताज़ा	टोंड मिल्क	3% वसा/8.5% वसा रहित ठोस	180 मि.ली., 500 मि.ली., 1 ली. तथा 6 ली.
फिट एन फाइन	होमोजिनाईज्ड डबल टोंड मिल्क	1.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	180 मि.ली., 500 मि.ली., तथा 1 ली.
चाय स्पेशल	होमोजिनाईज्ड डबल टोंड मिल्क	1.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	180 मि.ली., 500 मि.ली., तथा 1 ली.
स्लिम एण्ड स्मार्ट	स्किम्ड मिल्क	0.5% वसा (अधिकतम)/ 8.8% वसा रहित ठोस	200 मि.ली., 500 मि.ली., तथा 1 ली.
बटर मिल्क	प्लेन बटर मिल्क	1% वसा / 4.5% वसा रहित ठोस	300 मि.ली., 1 ली.
	स्पाइस्ड बटर मिल्क	1% वसा / 4.5% वसा रहित ठोस	250 मि.ली. तथा 300 मि.ली.

क्लासिक दही	टोंड मिल्क दही	3% वसा / 10.80% वसा रहित ठोस	200 ग्राम तथा 400 ग्राम (पॉलीपैक) 90 ग्राम, 180 ग्राम तथा 360 ग्राम (कप) 5 कि.ग्रा. तथा 15 कि.ग्रा. (मटकी)
फ्रेश दही	डबल टोंड दही	1.5% वसा / 10.80% वसा रहित ठोस	200 ग्राम तथा 400 ग्राम (पॉलीपैक) 90 ग्राम, 180 ग्राम तथा 360 ग्राम (कप) 5 कि.ग्रा. तथा 15 कि.ग्रा. (मटकी)
लाइट दही	स्किम्ड मिल्क दही	0.5% वसा / 11% वसा रहित ठोस	160 ग्राम तथा 400 ग्राम (पॉलीपैक) 5 कि.ग्रा. तथा 15 कि.ग्रा. (मटकी)
घी	घी	99.5% वसा	1 ली. तथा 15 कि.ग्रा (टीन)

उत्पादक संस्थान निर्माण :

कंपनी अपने सदस्यों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों के रूप में जानकारी वितरित करने के अलावा सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कंपनी ने अधिकतम संख्या में दूध उत्पादकों को कंपनी के सदस्यों के रूप में पंजीकृत करके आवृत्त क्षेत्र बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा।पीआईबी ने पूरे वर्ष कंपनी की सदस्यता नामांकन गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चत किया। वित्त वर्ष 2022–23 के अंत में, कंपनी ने सदस्यता में अधिकतम महिला सदस्यों की भागीदारी दर्ज की है, जिसके परिणामस्वरूप 11,202 महिला सदस्यों का नामांकन हुआ, जो वर्ष के दौरान नामांकित कुल 21,720 सदस्यता का 52% है।

परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022–23 के अंत में, कंपनी में कुल 94,945 पंजीकृत सदस्य रहे है।

कंपनी ने 2,963 एमपीपी में ग्राम स्तर पर 9,972 सदस्यों को ग्राम संपर्क समूह (वीसीजी) के रूप में और 2,698 सदस्यों को दुग्ध मार्ग स्तर पर सदस्य संबंध समूह (एमआरजी) के रूप में चयन कर कंपनी और सदस्यों के बीच एक मजबूत संवाद प्रणाली का गठन किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 20 एमआरजी सदस्यों को 'नेतृत्व विकास कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षित किया है ताकि उन्हें कंपनी के सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता प्रदान कर अन्य सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में प्रोत्साहित किया जा सके।

<u>गुणवत्ता आश्वासन</u>

कंपनी ने संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण में सर्वोत्तम प्रथाओं का आयोजन किया है। आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से गंभीर प्रक्रियाओं और विश्लेषण का पालन किया गया जिसमें दूध और दूध उत्पादों की भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी निगरानी शामिल है।

एफ.एस.एस.ए.आई. परीक्षण प्रोटोकॉल के अनुसार मिलावट, परिक्षकों और संदूषकों के परीक्षणों के अलावा सभी भौतिक रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के लिए 32 प्रकार के कड़े गुणवत्ता परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अलावा, हम यह पुष्टि करने के लिए प्रत्येक चिलिंग सेंटर से कच्चे दूध की बैक्टीरिया गुणवत्ता की जांच करते है कि एस.पी.सी. 10 लाख सी.एफ.यू/एम.एल. से कम है। सफाई एवं नियंत्रणता पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

उपरोक्त के आलोक में कंपनी ने ग्रामीण स्तर पर कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपाय स्थापित किए हैं। दूध उतारने से पहले विभिन्न जांच उपायों जैसे चीनी, नमक, यूरिया, वनस्पति तेल, डिटर्जेंट, मालटोडेकसट्रिन आदि जैसी लगभग 32 प्रकार की मिलावटी जांच दूध की गुणवत्ता की परीक्षण उच्च स्तर पर करने के लिए किया जा रहा है।

कंपनी अपने कार्यक्षेत्र एवं एम.सी.सी. स्तर पर सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यो एवं सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन प्रथाओं, स्वच्छता प्रथाओं, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं और अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने बेहजोई, अतरौली, मैनपुरी और गजरौला एमसीसी में उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ बीएमसी/मिल्क चिलिंग सेंटर के बुनियादी ढांचे में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। हमने खरीद स्तर पर कच्चे दूध की गुणवत्ता के नियंत्रण और निगरानी में सुधार के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा मूल्य श्रृंखला पर विचार करने वाली अपनी निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया है इस तरह के हस्तक्षेप हमारे ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाला दूध उपलब्ध कराने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को साबित करते हैं और एक सकारात्मक ब्रांड छवि बनाते हैं और साथ ही ग्राहकों का विश्वास भी अर्जित करते हैं। उपरोक्त को देखते हुये कंपनी ने कच्चे दूध की एम.बी.आर.टी. में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है और 120 मिनट

पर पहुंच गई है, जिससे हमने मदर डेयरी स्तर पर दूध अस्वीकृति की कमी को काफी हद तक नियंत्रित रखा है। साथ ही गुणवत्ता मापक की मदद से दैनिक आधार पर विभिन्न प्रकार के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखे जा रहे हैं।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

महत्तवपूर्ण परिवर्तन और प्रतिवद्धताएँ वित्तीय वर्ष के खत्म होने के पश्चात

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2023 के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्तवपूर्ण परिवर्तन और प्रतिवद्धताएँ नहीं हुई है।

पूंजी संरचना एवं अंशों का आवंटन और सदस्यता

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अधिकृत अंश पूंजी में कोई बदलाव नहीं किया है, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी 31 मार्च, 2023 को 45 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने वर्ष के दौरान 21,720 सदस्यों को 100/– रुपये के 3,87,885 समता अंश जारी किए हैं। इसलिए 31 मार्च, 2023 को कंपनी की उपार्जित और प्रदत्त अंश पूंजी वर्ष के शुरूआत में रु. 29.79 करोड़ थी और अन्त में रू.28.56 करोड़ थी।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने समर्पण/सदस्यता रद्द करने के कारण 25,227 सदस्यों के 5,11,092 अंशों को रद्द किया और वर्ष के दौरान नए और मौजूदा सदस्यों को उक्त अभ्यर्पित रद्द किए गए अंशों को पुनः जारी किया गया।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने कोई समता अंश या अधिमान अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं जिनके पास ऐसी प्रतिभूतियों को अंशों में बदलने का अधिकार या विकल्प है।

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी ने 95,945 उत्पादक सदस्यों को कंपनी की सदस्यता प्रदान की है। 31 मार्च, 2023 के पश्चात्, कंपनी ने 5,238 सदस्यों को नामांकित किया और 12,660 सदस्यों की सदस्यता के मानदंडों को पूरा न करने के कारण तथा सदस्यता के निरस्त/आत्मसमर्पण के कारण अभ्यर्पित/रद्द कर दिया गया है। तत्पश्चात्, इस रिपोर्ट की तारीख तक के कुल सदस्यों की संख्या 88,523 हैं।

श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी से संबंधित सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित वित्तीय वर्षों के

दौरान सदस्यता जारी रखने के लिए अपनी–अपनी संबंधित श्रेणी के सभी संरक्षण मानदंडों और शर्तों को पूरा करें।

वार्षिक आम सभा में उपस्थिति एवं मतदान अधिकार

आज की दिनांक में कुल 88,523 सदस्यों में से,

22,217 सदस्यों (जिसमें श्रेणी–ए, श्रेणी–बी एवं श्रेणी–सी शामिल हैं) जिन्होंने संबंधित श्रेणी के संरक्षण के सभी मानदंडों को पूरा किया है, को दसवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों (उनसे संबंधित श्रेणी के निदेशक के चुनाव पर मतदान सहित) पर मतदान करने का अधिकार है।

7,162 सदस्यों को दसवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों (उनसे संबंधित श्रेणी के निदेशक (निदेशकों) के चुनाव पर मतदान को छोड़कर) पर मत देने का अधिकार है क्योंकि उन्होंने संरक्षण से संबंधित मानदंडों को पूर्ण नहीं किया है। परन्तु उन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कंपनी में न्यूनतम दिन और लीटर दूध की आपूर्ति की है।

59,144 सदस्य दसवीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने के योग्य हैं, परन्तु उन्हें दसवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार नहीं है।

31 मार्च, 2023 के पश्चात् जोड़े गए सदस्य वित्तीय वर्ष 2022–23 के लाभांश के साथ–साथ दसवीं वार्षिक आम सभा में मतदान के हकदार भी नहीं होंगे।

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आई.ई.पी.एफ.)

कंपनी अधिनियम की धारा 124, 125 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्रधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 (इसके बाद 'आईईपीएफ नियम के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ें (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीमित रिटर्न (लाभांश) की राशि रू. 3,08,320/– जो अवनैतिक लाभांश खाते में पड़े रहने की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक अवैतनिक/अस्वामिक रहा, कंपनी द्वारा केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी के पास कोई अंतर्निहित अंश नहीं है जिसे उपर्युक्त हस्तांतरण के अनुसार आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, इसके संबंध में कोई आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

अवनैतिक/दावा न किए गए लाभांश की सूची कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर उपलब्ध है। अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त सूची की जांच करें और यदि उनके कारण कोई उपरोक्त राशि उक्त सूचियों में बकाया रह गई है, तो उसे जारी करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड की बैठकें

कंपनी के व्यापार में लेन–देन के लिए समय–समय पर बोर्ड की बैठक होती हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की सात बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गयी :

बोर्ड बैठकों की क्र.स.	बोर्ड बैठकों की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थिति निदेशक
40 वीं बोर्ड बैठक	27 मई, 2022	14	13
41 वीं बोर्ड बैठक	20 जुलाई, 2022	14	14
42 वीं बोर्ड बैठक	16 सितम्बर, 2022	14	13
43 वीं बोर्ड बैठक	18 नबम्बर, 2022	14	14
44 वीं बोर्ड बैठक	16 जनवरी, 2023	14	12
45 वीं बोर्ड बैठक	14 मार्च, 2023	13	13

समिति

हित धारक संबंध समिति (स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) के अनुसार, कंपनी के अंशधारकों की शिकायतों को हल करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति (स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी) का गठन किया गया था। समिति की संरचना इस प्रकार है :

श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
श्री शिव प्रताप, सदस्य

श्री बसंत चौधरी, सदस्य

समिति का गठन 25 मार्च, 2021 को किया गया था। वर्ष के दौरान, समिति की बैठक एक बार हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

हितधारक संबंध समिति बैठक संख्या	समिति बैठक की दिनांक	समिति के सदस्य	समिति में उपस्थित सदस्य
द्वितीय	14 मार्च, 2023	3	3

कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मण्डल में परिवर्तन

श्री अनिल कुमार और श्री हरेन्द्र पाल सिंह 23 अग्रस्त, 2022 से कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। श्री श्रीराम सिंह ने कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया और 31 जनवरी, 2023 से निदेशक नहीं रहे। बोर्ड ने इसका संज्ञान लेते हुए निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करता है।

श्री मानिक चन्द्र और श्री राहुल कुमार को 23 अगस्त, 2023 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री शिव कुमार शर्मा को 23 अगस्त, 2023 से कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। डॉ. संजय गोवानी को 12 मई, 2023 से कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक पद पर नियुक्त किया गया।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के तहत कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

करने की आवश्यता नहीं है।

निदेशक मंडल की संरचना और आगामी वार्षिक आम सभा में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 में सदस्यों के संरक्षण एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहाँ तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के संरक्षण के आधार वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किए गए हैं। सदस्यों को संरक्षण के आधार पर तीन अलग–अलग वर्गों अर्थात् श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड को कंपनी की छठी वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सदस्यों द्वारा संरक्षण मानदंडों की पूर्ति के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी के सदस्यों के बीच क्रमशः 22%, 24% और 53% थे। तदनुसार, सदस्यों के प्रत्येक वर्ग के संरक्षण के आधार पर बोर्ड में सदस्यों के प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रदान करने वाले बोर्ड की संरचना में क्रमशः श्रेणी–ए में 2, श्रेणी–बी में 3 और श्रेणी–सी में 6 निदेशक आते हैं। कंपनी अनुच्छेद 9.5 की आवश्यकता को निम्नानुसार पूरा करती है :–

श्रेणी–ए के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 निदेशक हैं। दसवीं वार्षिक आम सभा में ''श्रेणी–ए'' के निदेशकों की श्रेणी में कोई सेवानिवृत्ति/नियुक्ति नहीं है।

श्रेणी–बी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 निदेशक हैं। कंपनी के अन्तर्नियमों को अनुच्छेद 9.6 के अनुसार 'श्रेणी बी' का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के निदेशक श्री योगेश कुमार जादौन, कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होगें। श्री योगेश कुमार जादौन ने पात्र / योग्य होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया है।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड ने ''श्रेणी बी'' के रिक्त पद को भरने के लिए श्री योगेश कुमार जादौन की पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

श्रेणी–सी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 निदेशक हैं। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के निदेशक श्री अनरूद्ध कुमार एवं श्रीमती प्रेमलता कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर ''श्रेणी सी'' के रिक्त पद को भरने के लिए श्री अनुरूद्ध कुमार ''श्रेणी सी'', जो पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं के स्थान पर श्रीमती उमा भदौरिया की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

बोर्ड ने श्रीमती प्रेमलता ''श्रेणी सी'' जो पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं के स्थान पर श्रीमति सुलेखा, ''श्रेणी सी'' की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के नाम और योग्यता का विवरण कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 और 9.6 के अनुसार, कंपनी में श्रेणी–ए के 2, श्रेणी–बी के 2 और श्रेणी–सी के 6 निदेशक हो जायेंगे, यदि दसवीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तावित नियुक्तियों का अनुमोदन होता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि–

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों के साथ पठित अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है जो इसके तर्कसंगत और उपयुक्त है कि वित्तीय वर्ष में कंपनी के कारोबार की सही स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के घाटे का सही एवं उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं।

3. निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

4. कंपनी के निदेशकों द्वारा वार्षिक खातों को प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार करवाया है।

5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की हैं और यह प्रणालियां पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट/प्रतिवेदित की गई धोखधडी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही एवं उचित रूप से कार्य कर रही है जो सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकार्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, प्रणाली की संरचना या संचालन में कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट करने योग्य कमी नहीं पायी गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अंतर्गत, मैसर्स अरनेस्ट एण्ड यंग एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और बहुसंख्य में लेन–देन का मूल्यांकन किया है।

नियन्त्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियां

कंपनी की कोई नियन्त्रक/सहायक/सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जमा से संबंधित विवरण के सम्बन्ध में किसी प्रकटीकरण या विवरण देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कोई जमा नहीं थी।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संबंधित पार्टीयों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ बेसिस थे और सामान्य व्यवसाय संचालन के अनुसार एवं अनुरूप थे। इसके अलावा, कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रवर्तकों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्रपत्र AOC–2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.)

कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी नीति (सी.एस.आर. नीति) तैयार की है जो कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाती है। बनाई गई नीति का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को शुरू करना है। बोर्ड द्वारा लागू की गई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी नीति कंपनी की वेबसाइट – https://saahajmilk.com/saahaj-policies/ पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन से सम्बन्धित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के रूप में चिन्हित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में रु. 29,51,975 की राशि का योगदान दिया।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप के अनुसार **संलग्नक–ए** पर संलग्न है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन की पहचान, मूल्यांकन और प्राथमिकता की प्रक्रिया है जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना और / या प्रभाव को कम करने, निगरानी और कम करने / नियंत्रित करने या अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है कि प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित कर रहा है। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों जैसे की व्यवसाय, वित्तीय, मानवीय और वैधानिक अनुपालन आदि के क्षेत्रों की पहचान की गई है और इनके प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया/उपाय तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति विकसित और कार्यान्वित की है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय एवं निकासी

(i) **ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (m) के प्रावधानों के तहत ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ii) **विदेशी विनिमय आय एवं निकासी**

आय–शून्य
निकासी–शून्य

सामान्य कार्यालय और प्रकाश प्रयोजनों को छोड़कर कंपनी ने किसी अन्य प्रकार की विद्युत खपत नहीं की है।

सतर्कता तंत्र (विजिल मैकेनिज्म)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र की स्थापना की है और बोर्ड ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी को सर्तकता तंत्र की देखरेख का कार्य सौंपा है। विजिल मैकेनिज्म (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की वेबसाइट

https://saahajmilk.com/saahaj-policies/ पर उपलबध है।

नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण :

नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है।

लेखा परीक्षक

कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स एस.बी.बिलिमोरिया एंड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट्स को आठवीं वार्षिक आम सभा में पुनः नियुक्त किया गया तथा वह ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा जो वर्ष 2024 में सम्पन्न होगी, के समापन तक कार्यकाल संभालेंगे।

लागत अभिलेख

धारा 148 के अनुसार लागत लेखा परीक्षा का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/साचिविक परीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को जब लेखा और लेखा नीतियों से संबंधित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाता है तो वह स्वः स्पष्ट हो जाती हैं और आगे किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सचिविक अंकेक्षण कंपनी पर लागू नहीं है।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com है। कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
https://saahajmilk.com/annual-general-meeting/

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को लागू किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

इंसोल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016

वर्ष के दौरान इंसोल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 (2016 का 31) के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था या कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

एक मुश्त निपटारे के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण उसके कारण सहित

लागू नहीं।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('आईसीएसआई') द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए एक उचित प्रणाली और प्रक्रिया कंपनी में रखी जा रही है और यह प्रणाली पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

आभार

कंपनी का निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के समर्थन और योगदान के लिए उनकी सराहना करना चाहता है। साथ ही साथ निदेशक कंपनी के

कर्मचारियों, बैंकरों, आंतरिक और वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा निरंतर सहयोग देने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रदान सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

वास्ते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

दिनांक : 18 अगस्त, 2023
स्थान : आगरा

संलग्नक–ए

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सी.एस.आर. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1) कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा :

कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में वर्णिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृखंला शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं :

क) स्वास्थ्य
ख) शिक्षा
ग) स्वच्छता सुविधाएं
घ) पर्यावरणीय स्थिरता
ङ) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
च) व्यावसायिक कौशल में सुधार
छ) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना
ज) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय
झ) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान
ञ) इन्क्यूबेटरस या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान
ट) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को अंजाम देना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में शामिल होना।

2) सीएसआर समिति की संरचना :

लागू नहीं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी को नहीं है। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की उन बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
––– लागू नहीं –––				

3) **वह वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाऐं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कंपनी की सीएसआर नीति https://saahajmilk.com/saahaj-policies/ पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2022–23 में संचालित की गई कंपनी की सीएसआर परियोजना का विवरण https://saahajmilk.com/csr-projects/ पर उपलब्ध है।

4) **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

कंपनी को वर्तमान में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में प्रभाव मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है

5) **(a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ –** रु.14,75,98,438/–

(b) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – रु. 29,51,969/–

(c) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजना का कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष – शून्य

(d) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो – शून्य

(e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (**b+c-d**) – रु. 29,51,969/–

6. **(a) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरूद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित कार्य–कलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का अवस्थिति		परि–योजना अवधि	परि–योजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सी.एस. आर. खाते में अंतरित की गई राशि (रूपये में)	कार्यान्वयन रीति सीधे (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजि–स्ट्रीकरण संख्या
---- लागू नहीं ----												

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परि–योजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन की रीति कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	प्रधान–मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	अनुसूची VII (Viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	रु. 29,51,975/–	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल योग					रु. 29,51,975/–			

b) **प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि –** शून्य

c) **प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो –** लागू नहीं

d) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (अ+ब+स) –** रु. 29,51,975/–

e) **वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च) अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :**

	खर्च न की गई (अव्ययित) राशि (रुपये में)				
वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च) कुल राशि (रूपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा – विनिर्दिष्ठ किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रु. 29,51,975/–	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

f) **समायोजित (सेट आफ) करने के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो –**

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो (2) प्रतिशत	रु. 29,51,975/–
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु. 29,51,975/–
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि [(ii) - (i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उद्भूत अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन (सेट आफ) के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	शून्य

7) **पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा :**

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	समीक्षाधीन (रिपोर्टिंग) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
--- लागू नहीं ---							

8) **पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सी.एस.आर. व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें : लागू नहीं**
यदि हाँ, तो निमित/अधिग्रहति पूँजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें : एन/ए

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण
--- लागू नहीं ---					

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने के रूप में लिया जाना चाहिए फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ–साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

9) **कारणों को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशित खर्च**

करने असफल हुई हो –

लागू नहीं (कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अपना सीएसआर दायित्व पूर्ण रूप से निर्वाहित किया है।)

ह/–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

दिनांक : 18 अगस्त, 2023
स्थान : आगरा

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

के सदस्यों को वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय :

हमने **सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड** के वित्तीय विवरण जिसमें दिनांक 31 मार्च 2023 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेंस शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से देते हुए और कम्पनी के साथ पढ़े गए अधिनियम की धरा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, (लेखा मानक) नियम 2021 के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक कम्पनी के मामलों की स्थिति के अनुसार (लेखा मानक) और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकर सिद्धान्तों को संशोधित किया गया है, जो समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ एवं रोकड़ प्रवाह हेतु है।

राय के लिए आधार :

हमने अधिनियम (SAs) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया गया। मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टड एकाउन्टेन्ट इन्स्टीयूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है, उके अधीन बनाये, हमने इन आवश्यकताओं और ICAI की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारी आडिट राय पर आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी :

- वित्तीय सूचनाओं के अतिरिक्त कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।
- वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को सम्मिलित नहीं करती है और हम निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय वक्तव्यों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में, हमारे उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को अमल में लाना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप में असंगत है, या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी में यह प्रतीत होता है कि भौतिक रूप से होना है।

- यदि हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी या सूचना गलत प्रदर्शित की गई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है, हालांकि इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) (अधिनियिम) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के सम्बन्ध में जो वित्तीय स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन और कम्पनी के नगदी प्रवाह लेखा मानकों और अन्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी, अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन और अभिलेखों का रख रखाव भी शामिल है, उचित लेखांकन नीतियों का चयन, आवेदन, निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबन्धन कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायित्व, प्रस्तुतीकरण के रूप में जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि लागू होने से सम्बन्धित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबन्धन अथवा कम्पनी को बन्द करने का निर्णय रखते हों। संचालन अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय अभिलेख प्रक्रिया देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित स्थिति प्रस्तुत करना है कि क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है, और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि (SAs) के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती हैं, का पता लगायेगा। इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

(SAs) के अनुसार एक अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी अंकेक्षण अवधि के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं और हमने :

- वित्तीय विवरणों के तथ्यों में गलत विवरण के जोखिमों को प्रस्तुत कर उनका आंकलन करें, चाहें वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अंकक्षेण प्रक्रियाओं को निष्पादित करें, अंकक्षेण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के पर्याप्त एवं उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, गलत बयानी या आन्तरिक नियंत्रण की अपरलेखन भी सम्मिलित हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के प्रस्तुतीतरण हेतु अंकेक्षण के लिए प्रासंगित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करें, जो परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियन्त्रणों के परिचालन हेतु प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।

- प्रयोग की जा रही है लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों और सम्बन्धित परिणामों की तर्कशीलता का मूल्यांकन प्रबन्धक द्वारा किया गया।

- लेखा से प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के लम्बे समय तक जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वित्तीय लेखों में अनिश्चितता परिलक्षित है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट से वित्तीय विवरणों में सम्बन्धित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना है। और यदि इस प्रकार के खुलासे से ऐसा करने में अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित है, हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा स्थितियों से कम्पनी के लिए एक सर्तक रहने वाली स्थिति को प्रदर्शित करता है।

- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अर्न्तनिहित लेन–देन को इस तरह से दर्शातें हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।

भौतिक एवं वित्तीय वक्तव्यों में व्यक्तिगत अथवा समूहिक रूप से गलत बयानों का दुष्परिणाम है जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, (1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है। (2) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी गलत विवरण का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों में अंकेक्षण की योजना, समय और महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के साथ आन्तरिक नियन्त्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं।

हम उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नैतिक स्वतन्त्रता आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतन्त्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

अ. हमने वे सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए गए हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य

से आवश्यक थे।

ब. हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से तैयार की हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के लिए गए परीक्षण से प्रकट होते हैं।

स. इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

द. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

य. 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च 2023 को रिकार्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

र. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियन्त्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट अनुलग्नक **''अ''** को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।

ल. अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मामलों के सम्बन्ध में संशोधित हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार, कम्पनी एक निजी कम्पनी है जो प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं है।

व. कम्पनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित विधिक वाद–विवाद पर स्पष्टीकरण दिया, जो वित्तीय विवरण के नोट सं0:27 में निहित है।

(ii) कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबन्ध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियां हो।

(iii) कम्पनी के द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने में कोई विलम्ब नहीं किया है, यदि हस्तान्तरण आवश्यक है।

(iv) a. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी का प्रतिनिधित्व एवं परिचालन किया है,

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या : 39 में वर्णित है कि कम्पनी द्वारा कोई भी धनराशि अग्रिम अथवा उधार या तो निवेश नहीं की गई है अथवा किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों, या इकाई / इकाईयों में जिसमें विदेश संस्था मध्यस्थ के रूप में शामिल हो, चाहें वह लिखित या अन्य किसी रूप में अभिलेखित हो कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या कम्पनी द्वारा उसकी ओर से किसी भी रूप में चिन्हित की संस्था / संस्थाएं को काई गारन्टी अथवा सुरक्षा जैसी कोई सेवा आदि प्रदान की गई हो, नहीं दी गई है।

b. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी का प्रतिनिधित्व एवं परिचालन किया है, जैसा वित्तीय विवरणों के नोट संख्या : 39 में वर्णित है कि कम्पनी द्वारा किसी भी विदेशी संस्था / संस्थान सहित किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों से लिखित या किसी भी अन्य रूप में अभिलेखित की गई हो, अथवा कम्पनी द्वारा किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से चिन्हित कर व्यक्ति / व्यक्तियों / या अन्य संस्था / संस्थान को किसी भी कोई गारन्ट अथवा सुरक्षा जैसी कोई सेवा में उधार अथवा निवेश करेगी।

c. सम्पन्न किए गए आडिट / लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आया जिससे यह प्रकट हो सके उपखण्ड (1) के नियम संख्या 11(ई) में प्रदत्त जैसा कि ऊप बिन्दु संख्या (1) एवं (2) दिया गया है, में कोई महत्त्वपूर्ण गलत निर्णय सम्मिलित हो।

(v) विगत वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश एवं वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप ही लागू पाया गया है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या : 37 में उल्लिखित किया गया है कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है, जो आगामी वार्षिक आम सभा की बैठक में सदस्यों अनुमोदन के अधीन है। उक्त लाभांश अधिनियम की धारा 123 में जैसा लागू है, के अनुरूप ही देय है।

(vi) कम्पनी (लेखा) के नियम संख्या 3(1) 1 अप्रैल 2023 से लेखांकन साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए लेखा पुस्तकें तैयार करना जिसमें आडिट ट्रेल की सुविधा हो, तद्नुसार कम्पनी (आडिट और आडिटर) को नियम संख्या 11(g) 2014 वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 पर लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दो पर हमारे द्वारा विवरण ''अनुलग्नक–ब'' दिया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग IV की धारा 378ZG में निर्दिष्ट विवरण हमनें ''अनुलग्नक–स'' में दिया है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W/W100774)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN : 23087104BGYKYW5331)

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (अ)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अर्न्तगत पैराग्राफ 1(एफ) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तय नियन्त्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 को सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सन्दर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदत मानदण्डों पर आन्तरिक नियन्त्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख में उल्लिखित हैं। इन दायित्वों में उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है जो कि नियमित रूप से कुशलता पूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों का पालन, कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएं समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सन्दर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख (''दिशा–निर्देश–लेख'') तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जो कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशा निर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रतिपादित कर रख रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियन्त्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के सन्दर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है तथा आंकलित जोखिम के

परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आन्तरिक नियन्त्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे अथवा गलतियों से हों।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पद्धति के लिए हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के सन्दर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रिया सम्मिलित हैं जो (1) लेखा के रख रखाव से सम्बन्धित है, उपर्युक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की सम्पत्तियों का निपटारा करती है।(2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबन्धकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय प्रतिवेदनों विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियन्त्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिणाम को दूषित कर सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपर्युक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2023 को आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक नियन्त्रणों के मानदण्डों के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रणों के मूलभूत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W/W100774)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN : 23087104BGYKYW5331)

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (ब)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट – अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अर्न्तगत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों को हमारे द्वारा आडिट में जाँच की गई और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी राय निम्नलिखित है :

(i) अ. (i) कम्पनी ने अचल सम्पत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिए उचित अभिलेख बना रखे है।

(ii) कम्पनी द्वारा अपनी अमूर्त सम्पत्तियों का विवरण प्रदर्शित करने वाले उचित अभिलेख तैयार किए हैं।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अन्तराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

स. कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, अतः आदेश के खण्ड 1(सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

द. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी सम्पत्ति, सयंत्र और उपकरण और अमूर्त सम्पत्ति का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया है।

य. बेनामी सम्पत्ति अधिनियम (निषेध) 1988 (संशोधित 2016) के क्रम में कम्पनी द्वारा 31 मार्च 2023 तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है अथवा लम्बित नहीं है।

(ii)अ. गुड्स इन ट्रांजिट और तीसरे पक्ष के पास रखे गए स्टाक को छोड़कर, प्रबन्धन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था, हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबन्धन द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया कम्पनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को संज्ञान में लेते हुए उचित प्रतीत होती है। वर्ष के अन्त में गुड्स इन ट्रांजिट और तीसरे पक्ष के पास रखे स्टॉक की तुलना लेखा पुस्तकों से की जाती है तो लागू किए गए इन्वेन्ट्री के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

ब. कम्पनी को रूपये 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। वर्तमान परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान समय–समय पर कम्पनी द्वारा बैंकों को प्रस्तुत किए गए त्रैमासिक

रिटर्न अन आडिटेड लेखा पुस्तकों के अनुरूप पाये गये।

(iii) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी आवृत में किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया गया है। अतः क्लाज (iii) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारन्टी प्रदान नहीं की है इसलिए क्लाज (iv) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(v) कम्पनी ने किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमाएं स्वीकार नहीं की है, इसलिए क्लाज (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी की गतिविधियों के लिए लागत लेखा रिकार्ड के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vii) वैधानिक देय के सम्बन्ध में :–

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर विक्रय कर, सेवाकर, वैट, सैस, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है।

गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स, भविष्य निधि, आयकर उपकर अथवा अन्य कोई वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 तक उनके देय होने की दिनांक से छः माह से अधिक समय के लिए कोई भी निंविवाद राशि देय नहीं है।

ब. वस्तु एवं सेवा कर के बकाया जो विवादों के कारण 31 मार्च, 2023 तक जमा नहीं किया गया है, का विवरण निम्नलिखित है :–

विधिक नाम	बकाया की प्रकृति	पटल जहाँ विवाद लम्बित है	सम्बन्धित धनराशि की समयावधि	माँग धनराशि (लाख में)	माँग के समक्ष किए गए भुगतान की राशि (लाख में)
उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 एवं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017	वस्तु एवं सेवाकर			3.14	3.14

(viii) वर्ष के दौरान पहले से दर्ज न की गई कोई भी आय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं पाया गया जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 के 43) के अन्तर्गत सरेन्डर अथवा उल्लिखित किया गया हो।

(ix) अ. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण अथवा ऋण के पुर्नभुगतान या उस पर देय ब्याज के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक अथवा विलम्ब नहीं किया गया है।

ब. कम्पनी को किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझ कर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

स. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी साविध ऋण नहीं लिया गया है और वर्ष के प्रारम्भ कोई भी अप्रयुक्त ऋण नहीं है, इसलिए आदेश के भागसंख्या (ix) (स) रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

द. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच करने पर प्रथम दृष्टया, अल्पकालिक आधार पर एकत्रित की गई धनराशि का उपयोग कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

य . कम्पनी के पास वर्ष के दौरान कोई भी सहायक या सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए आदेश संख्या के भाग (ix) (ई) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

र. कम्पनी के पास वर्ष के दौरान कोई भी सहायक या सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए आदेश संख्या के भाग (ix) (एफ) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) अ. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान प्रारंभिक एवं पब्लिक ऑफर अथवा केवल पब्लिक ऑफर (ऋण सहित) के माध्यम से धन नहीं एकत्रित किया है अतः आदेश के भाग संख्या (x)(ए) रिपोर्टि लागू नहीं होती है।

ब. वर्ष दौरान कम्पनी द्वारा शेयर का कोई सार्वजनिक आवंटन अथवा निजी आवंटन पूर्ण अथवा अंशकालिक रूप में वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। अतः आदेश के भाग संख्या (x)(बी) रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xi) अ. वर्ष के दौरान कम्पनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा माल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पाई गई है।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा केन्द्र सरकार के साथ कम्पनी अधिनियम 143 की उपधारा के अन्तर्गत कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) के नियम 2014 के नियम संख्या 13 के अन्तर्गत फार्म ए.डी.टी. –4 इस प्रपत्र के जारी होने की दिनांक तक नहीं की गई है।

स. जैसा कि प्रबन्धन द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि वर्ष के दौरान इस रिपोर्ट की दिनांक तक कम्पनी को किसी प्रतिनिधि अथवा संकेत के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कम्पनी किसी भी स्वरूप में निधि कम्पनी नहीं है। अतः आदेश के भाग संख्या (xii) रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xiii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 का अनुपालन किया है। जहां भी लागू हो, सम्बन्धित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा सम्बन्धित पक्षकारों के सम्पूर्ण विवरणों का स्पष्टीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जो कि लागू होने वाले मानकों के अनुसार आवश्यक हैं। कम्पनी एक निजी कम्पनी है इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

(xiv) अ. हमारी राय में कम्पनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

अ. हमारे द्वारा कम्पनी की अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की अवधि को कवर करने वाली आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि को कवर करने वाली बेलेंसशीट की तारीख के बाद जारी की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट को भी अमल में लाया गया।

(xv) वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नगद लेनदेन नहीं किया गया है और इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते है।

(xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 (आईए) के अन्तर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खण्ड (xvi)(ए), (बी) और (सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना आवश्यक नहीं है।
कम्पनी समूह में कोई मुख्य निवेशक कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कम्पनी (भारतीय रिजर्व बैंक) के दिशा निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार, आदेश के खण्ड संख्या 3 (xvi) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvii) हमारे ऑडिट में कवर किए गए वित्तीय वर्ष में कम्पनी को 131.59 लाख की नगद हानि हुई है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की नगद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई भी त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, ऐजिंग और वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और निदेशक मण्डल और प्रबन्धन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास होता है कि आडिट रिपोर्ट की दिनांक के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई भौतिक अनिश्चितता है जो यह दर्शाता है कि कम्पनी के आर्थिक चिट्ठा में अंकित देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो आर्थिक चिट्ठा की दिनांक की अवधि से एक वर्ष के भीतर देय हो जाते हैं। हालाकि हमारा यह भी मानना

है कि कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता में किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है। हमारी रिपोर्टिंग आडिट रिपोर्ट की दिनांक तक के तथ्यों पर आधारित है। हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि आर्थिक चिट्ठा की दिनांक की अवधि से एक वर्ष के अंदर आने वाले उन सभी बकाया का भुगतान कम्पनी द्वारा कर दिया जाएगा जो कम्पनी पर बकाया हो।

(xx) अ. कम्पनी ने सी.एस.आर. (सामाजिक कारपोरेट उत्तरदायित्व) के लिए आवश्यक राशि पूरी तरह से व्यय कर दी है और इस मद में कोई भी धनराशि शेष नहीं है जिसे कम्पनी अधिनियम की अनुसूची vii में निर्दिष्ट फण्ड या उप–प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता हो। उक्त अधिनियम की धारा 135 की धारा (6) तदनुसार आदेश के भाग संख्या (xx) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ब. चालू वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (v) के तहत किसी भी चालू परियोजना के तहत कोई राशि खर्च नहीं की गयी है, इसलिए आदेश की धारा (xx)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W/W100774)
ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN : 23087104BGYKYW5331)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (स)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट – अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अर्न्तगत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

1. विक्रय किए गए माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 16 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियां प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबन्धन के पास किसी भी प्रकार हस्तगत रोकड़ नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशीय प्रतिभूतियां नहीं हैं।

3. 31 मार्च, 2023 को सम्पत्तियां एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार हैं।

4. हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कम्पनी ने कोई ऐसा लेन देन नहीं किया है जो कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXIA के प्राविधानों के विपरीत है।

5. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

7. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रकरण नहीं है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W/W100774)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN : 23087104BGYKYW5331)

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च, 2023

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
A-	**शेयर और देयताएं**			
	1. अंश धारक कोष			
	(a) अंश पूँजी	3	2,856.17	2,979.37
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4	5,660.54	6,269.71
			8,516.71	9,249.08
	2. अंश पूँजी के आवेदन लम्बित आवंटन	38	50.98	25.41
	3. अस्थिगत अनुदान	5	501.24	626.85
	4. अंतरल देयताएं			
	(a) दीर्घ अवधि प्रावधान	6	754.20	764.47
	(b) दीर्घ अवधि समायोजन	7	14.07	47.73
			768.27	812.20
	5. तरल देयताएं			
	(a) लघु अवधि की उधारी	8	9,480.73	9,473.30
	(b) व्यापारिक देनदार	9		
	(i) लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों की कुल बकाया राशि		108.48	149.61
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		3,596.85	2,615.80
	(c) अन्य तरल देयताएं	10	396.40	423.52
	(d) लघु अवधि प्रावधान	11	64.20	46.73
			13,646.66	12,708.96
			23,483.86	23,422.50
B-	**आस्तियां**			
	1. अंतरल आस्तियां			
	(a) अचल आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	12(a)	1,101.17	1,508.77
	(ii) अमूर्त संपत्ति	12(b)	—	—
	(b) आभासी कर आस्तियां (कुल)	13	177.79	166.09
	(c) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	14	310.98	45.30
			1,589.94	1,720.16
	2. तरल आस्तियां			
	(a) रहतिया	15	1,180.22	873.93
	(b) व्यापारिक देनदार	16	10,462.96	11,710.32
	(c) रोकड़ और रोकड़ समरूप	17	9,760.47	8,633.41
	(d) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	18	145.35	126.58
	(e) अन्य चल आस्तियां	19	344.92	358.10
			21,893.92	21,702.34
	कुल योग		23,483.86	23,422.50

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक
डी.आई.एन. : 07694245

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 08277954

ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

स्थान : आगरा
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

ह./–
सुदीप कुमार भोमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

लाभ हानि खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2023

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
1.	व्यावसायिक गतिविधियों से आय	20	81,436.03	82,832.44
2.	अन्य आय	21	520.71	586.47
3.	**कुल आय (1+2)**		81,956.74	83,418.91
4.	**खर्चे**			
	(a) व्यावसायिक स्टॉक की खरीद	22	75,937.02	75,266.94
	(b) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव	23	(256.15)	(99.77)
	(c) कर्मचारियों से सम्बन्धित खर्चे	24	1,086.69	1,108.29
	(d) व्यावसायिक लागत	25	421.76	190.60
	(e) ह्रास एवं ऋणमुक्त खर्चे	12	292.22	384.47
	(f) अन्य खर्चे	26	4,899.01	5,431.84
	कुल खर्चे		82,380.55	82,282.37
5.	**कर से पूर्व आय (3–4)**		(423.81)	1,136.54
6.	**कर सम्बन्धी खर्चे**			
	(a) वर्तमान कर		–	330.00
	(b) पहले के वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान		(11.48)	–
	(c) स्थगित कर (कुल)		(11.70)	(28.03)
	कुल खर्चे		(23.18)	301.97
7.	**सम्बन्धित वर्ष का लाभ (5–6)**		(400.63)	834.57
8.	**प्रति अंश आय**	31		
	(Nominal value Rs. 100 per share)			
	(a) बेसिक		(14.93)	30.88
	(b) डायलूटेड		(14.85)	30.80

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

स्थान : आगरा
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 08277954

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
A.	**व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर से पूर्व लाभ	(423.81)	1,136.54
	समायोजन		
	ब्याज से आय	(463.72)	(449.98)
	व्यावसायिक लागत	421.76	190.60
	कर्मचारी हित खर्च		
	ह्रास खर्च	(7.11)	(75.37)
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	292.22	384.47
	कार्यशील पूँजी में बदलाव से पूर्व व्यावसायिक लाभ	(180.66)	1,186.26
	कार्यशील पूँजी में समायोजन		
	रहतिये में वृद्धि	(306.29)	(173.89)
	व्यावसायिक लेनदारों में वृद्धि	1,247.36	(7,565.88)
	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(7.02)	(4.69)
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(18.77)	(31.10)
	व्यावसायिक देनदारों में वृद्धि	(10.27)	69.95
	अन्य चल देयताओं में वृद्धि	(16.18)	(1.05)
	देय व्यापार में वृद्धि	947.03	226.46
	व्यवसाय से रोकड़ प्राप्ति	(12.87)	(65.38)
	कुल आयकर भुगतान	1,642.33	(6,359.32)
	व्यवसाय गतिविधियों से कुल रोकड़ प्राप्ति	(247.18)	(319.08)
		1,395.15	(6,678.40)
B.	**निवेश से रोकड़ प्राप्ति**		
	बैंक शेष, रोकड़ नहीं है	809.34	(63.38)
	अचल आस्तियों की खरीद	(10.22)	(91.39)
	ब्याज प्राप्ति	476.90	408.18
	निवेश में व्यय कुल रोकड	1,276.02	253.41
C.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्राप्ति**		
	समता अंश पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	(148.62)	39.09
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त	50.98	25.41
	नेट वृद्धि/(कमी) कार्यशील पूँजी उधारी में	7.43	6,976.29
	लाभांश कर सहित भुगतान	(211.82)	(204.70)
	वित्तीय लागत का भुगतान	(432.75)	(148.66)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्राप्ति	(734.78)	6,687.43
	Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	1,936.39	262.44
	वर्ष के शुरू में रोकड़	295.23	32.79
	वर्ष के समाप्ति में रोकड़	2,231.62	295.23
	रोकड़ में सम्मिलित		
	बैंक करंट अकाउंट	2,231.62	295.23
	कुल रोकड़ प्रवाह	2,231.62	295.23
	जोड़: नकद और नकद समतुल्य रूप से नहीं माना बैंक बैलेंस	18.10	21.36
	बैंक बैलेंस को नकद और नकद समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है।	7,510.75	8,316.82
	नकद और नकद समकक्ष आर्थिक चिट्ठा के अनुसार (17 नोट)	9,760.47	8,633.41

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

स्थान : आगरा
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 08277954

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग है।

1. कम्पनी के बारे में

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को गठित है।

कम्पनी उत्तर प्रदेश के गाँवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर कच्चे दूध का विक्रय मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को करती है। कम्पनी पौली पैक दूध (PPM), घी, पशु आहार एवं वीर्य का क्रय एवं विक्रय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :

(a) लेखांकन का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करने के लिए कंपनी का वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किए गए हैं। एम.सी.ए. ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXIA के तहत निर्माता कंपनी नियम 2021 के रूप में जानी जाने वाली निर्माता कंपनियों पर लागू है। वित्तीय विवरण तैयार किये जाते है। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप है।

(b) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किए गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

(c) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

(d) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया हैं। जिसमें लाभ–हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किये गए राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

(e) आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता हैं जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जो कि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता हो, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

(f) अन्य आय

जमा पर ब्याज अर्जित आधार पर मानी जाती है।

(g) अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल सम्पत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रॉस/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लेने के लिए किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल सम्पत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गए किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे सम्पत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पंजीकरण किया जाता है।

(h) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे सम्बन्धित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

(i) ह्रॉस एवं ऋणमृक्ति

ह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति संपत्ति के प्रयोग जीवन के आधार पर होता है जो कि टेक्निकल सलाह, संपत्ति की प्रकृति, सम्पत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति को चलाने की दशाएं, पिछले प्रतिस्थापन, अनुमानित तकनीकी परिवर्तन, निर्माण वारंटी और रखरखाव सेवा इत्यादि पर निर्भर करता है।

ह्रास का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का उपयोगी जीवन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं,

विवरण	उपयोगी वर्ष	अवधि
प्लांट एवं उपकरण	10	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10	–
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	03	–
कार्यालय उपकरण	05	–

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

5000 रूपये या इससे कम मूल्य के एकल सम्पत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में ही मूल्य ह्रासित किया जाता है।

(j) रहतिया

लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गए हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

(k) अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य ह्रास सम्बन्धित सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे सम्पत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में

दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा सम्बन्धित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

(l) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

(b) निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को आर्थिक चिट्ठे की तिथि को किये गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार लिया गया है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोत्तरी को बीमांकिक मूल्यांक के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(c) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गयी हैं। इन लाभों में परफॉरमेंस इन्सेन्टिव्स और अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति शामिल है जो पिछले 12 माह में कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं से सम्बन्धित है।

(d) दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्तिथियां, जो कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12

माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी। एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(m) प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल्य का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डाइल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

(n) आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयाविधि में अर्जित हुए है। जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयाविधियों के लिए की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए की भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियां बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

(o) ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता है। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता है। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता है।

(p) सम्पत्तियों के क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी सम्पत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कोई ऐसा लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की सम्पत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उसे संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गए मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गयी संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए कि यह सम्पत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को उसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व – बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

(q) प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्व कालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी सम्भावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिए उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा आर्थिक चिट्ठा बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ पैमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

(r) लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाएं उस संपत्ति के स्वामित्व में निहित होती हैं, तो ऐसे लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

(s) महत्वपूर्ण घटनाएँ

आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

(t) संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा सम्पत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 3 : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
(a).	**अधिकृत अंश पूंजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	45.00	4,500.00	45.00	4,500.00
(b)	**जारी की गयी, सदस्यों द्वारा ली गयी और पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	28.56	2,856.17	29.79	2,979.37

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (v) देखें :–

नोट्स :–

(i) **अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध**

कम्पनी ने एक श्रेणी के रू. 100/– अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) **वर्ष के प्रारम्भ, समापन पर समता अंशों, संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	वर्ष/अवधि की शुरूआत के बकाया अंश	29.79	2,979.37	29.21	2,921.63
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	3.88	387.89	5.09	509.22
	वर्ष के दौरान निरस्त एवं समर्पण अंश	(5.11)	(511.09)	(4.51)	(451.48)
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	28.56	2,856.17	29.79	2,979.37

(iii) वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्ष के दौरान नकद या बोनस शेयरों के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिये कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

(iv) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत् एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसार किसी भी सदस्य के पास 5% से ज्यादा अंश पूंजी नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(iv) प्रमोटरों द्वारा रखे गये शेयरों का विवरण

क्र. सं.	प्रमोटरों का नाम	31 मार्च 2023		31 मार्च 2022		
		शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशत	% परिवर्तन
1	दिग्विजय सिंह	150.00	0.005%	150.00	0.005%	0.000%
2	महेश चन्द्र	80.00	0.003%	80.00	0.003%	0.000%
3	शिव सिंह	150.00	0.005%	150.00	0.005%	0.000%
4	चन्द्रपाल सिंह	60.00	0.002%	60.00	0.002%	0.000%
5	मुरारीलाल	127.00	0.004%	127.00	0.004%	0.000%
6	प्रवीन कुमार	60.00	0.002%	60.00	0.002%	0.000%
7	मनोहर लाल	30.00	0.001%	30.00	0.001%	0.000%
8	विनीता दुबे	160.00	0.005%	160.00	0.005%	0.000%
9	भगवान सहाय	74.00	0.002%	74.00	0.002%	0.000%
10	चन्द्रभान सिंह	86.00	0.003%	86.00	0.003%	0.000%
11	नेत्रपाल सिंह	117.00	0.004%	117.00	0.004%	0.000%

Note 4 : संचय एवं अधिशेष

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a).	**सामान्य संचय**		
	प्रारम्भिक रहतिया	6,073.78	5,370.57
	जोडें – लाभ हानि खातों के अधिशेष से हस्तान्तरित	–	703.21
	अंतिम शेष	6,073.78	6,073.78
(b)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष**		
	प्रारम्भिक शेष	195.93	269.04
	अवधि का लाभ / (हानि)	(400.63)	834.57
	घटाएं		
	(i) सदस्यों को प्रस्तावित प्रतिफल (रू. 7 प्रति अंश) वर्ष 2022–23 और (रू. 7 प्रति अंश) वर्ष 2021–22	208.54	204.47
	(ii) सामान्य संचय में अंतरित	–	703.21
	अंतिम शेष	(413.24)	195.93
	योग (a+b)	5,660.54	6,269.71

Note 5 : आस्थगित अनुदान

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	प्रारम्भिक रहतिया	626.85	767.97
	घटाये : मूल्यह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित पूँजी अनुदान से प्राप्त कर लिया (नोट : 12)	125.61	141.12
	अन्तिम रहतिया		
		501.24	626.85

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 6 : अन्य दीर्घकालिक देयताऐं (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a).	व्यापार/सुरक्षा जमा प्राप्त	754.20	764.47
		754.20	764.47

Note 7 : दीर्घकालीन प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु (फण्ड का शुद्ध मूल्य रु. 197.09 लाख विगत वर्ष रु. 178.41 लाख है)	14.07	46.37
	(ii) ग्रेच्युटी के लिये	–	1.36
		14.07	47.73

Note 8 : लघु अवधि की उधारी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	**बिल में छूट की सुविधा**	9,480.73	9,473.30
		9,480.73	9,473.30

*कंपनी बिल डिस्काउण्टिंग के अन्तर्गत बिल जारी करने की दिनांक से 90 दिनों की अवधि हेतु पात्र है। ब्याज की दरें 5.31% प्रति वर्ष (विगत वर्ष के रेपो रेट + 4.69%)

Note 9 : व्यावसायिक देनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a).	लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों की कुल बकाया राशि (See Note 34)	108.48	149.61
(b).	सूक्ष्म और लघु उद्योगों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	3,596.85	2,615.80
		3,705.33	2,765.41

Note No. 9.1 : 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय एजिंग की सूची :–

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
एम.एस.एम.ई.	108.48	–	–	–	108.48
अन्य	3,589.86	1.63	1.55	3.81	3,596.85
विवादित देय राशि एम.एस.एम.ई.	–	–	–	–	–
विवादित देय राशि अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग	3,698.34	1.63	1.55	3.81	3,705.33

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note No. 9.2 : 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय एजिंग की सूची। (राशि ₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
एम.एस.एम.ई.	149.61	–	–	–	149.61
अन्य	2,609.02	0.83	1.43	4.52	2,615.80
विवादित देय राशि एम.एस.एम.ई.	–	–	–	–	–
विवादित देय राशि अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग	2,758.63	0.83	1.43	4.52	2,765.41

Note 10 : अन्य चालू दायित्व

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a).	अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं	58.99	69.98
(b)	गैर दावे/गैर भुगतान लाभांश	18.10	21.36
(c)	वैधानिक देय	57.54	69.89
(d)	अनुदान (उपयोग का शुद्ध) प्राप्त	208.61	213.18
(e)	ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	53.16	49.11
		396.40	423.52

Note 11 : अल्पकालीन प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	64.20	46.73
		64.20	46.73

Note 13 : स्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(i).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर सम्पत्तियों का भाग हैं		
	a. प्रतिपूर्ति/ग्रेच्युटी अनुपस्थितियों हेतु प्रावधान	20.00	23.00
	b. खाता पुस्तकों एवं सम्पत्ति, प्लान्ट उपकरणों पर कर के मध्य अन्तर	156.59	141.89
	c. संदिग्ध डेबिट के लिए प्रावधान	1.20	1.20
		177.79	166.09
	शुद्ध स्थगित कर संपत्ति	177.79	166.09

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 14 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गये		
(a)	जमा सुरक्षा राशि	18.72	18.85
(b)	जमा प्राप्तियाँ	17.57	16.20
(c)	एडवांस टैक्स (स्त्रोत पर कर कटौती सहित)	268.91	10.25
(d)	ग्रेच्यूटी (शुद्ध ग्रेच्यूटी फण्ड रूपये 167.77 लाख,	5.78	–
	वित्तिय वर्ष रूपये 143.31 लाख)	310.98	45.30

Note 15 : स्टॉक

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	(स्टॉक लागत एवं वसूली मूल्य जो कम हो उस पर)		
(a)	स्टॉक इन ट्रेड		
	(i) कच्चा दूध	354.27	287.66
	(ii) पारगमन में कच्चा दूध	290.24	152.99
	(iii) अन्य व्यापारिक सामग्री	272.70	220.41
	(iv) भण्डारण और पुर्जे	263.01	212.87
		1,180.22	873.93

Note 16 : व्यवसायिक लेनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
1.	**सुरक्षित एवं उचित माने गए**		
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया		
	अच्छा माना जाता है		
	संदिग्ध माना जाता है	–	–
(b)	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	11.76	22.21
	अन्य	11.76	22.21
2.	**असुरक्षित एवं उचित माने गए**		
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया	0.01	–
	अच्छा माना जाता है	4.75	4.75
	संदिग्ध माना जाता है	4.76	4.75
		4.75	4.75
	घटायें –	0.01	–
	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	10,451.19	11,688.11
(b)	अन्य	10,451.19	11,688.11
	उचित माना जाता है।		
		10,462.96	11,710.32

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 16.1 : 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार एजिंग की सूची – (राशि ₹ लाख में)

	विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
(i)	निर्विवाद व्यापार से प्राप्तियां						
	(i) माल पर विचार करना	10,462.95	0.01	–	–	–	10,462.96
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	4.75	4.75
(ii)	विवादित व्यापार से प्राप्तियाँ						
	(i) माल पर विचार करना	–	–	–	–	–	–
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	–	–
		10,462.95	0.01	–	–	4.75	10,467.71
	कम – संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान	–	–	–	–	4.75	4.75
	कुल योग	10,462.95	0.01	–	–	–	10,462.96

Note 16.2 : 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार एजिंग की सूची –

	विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
(i)	निर्विवाद व्यापार से प्राप्तियां						
	(i) माल पर विचार करना	11,710.32	–	–	–	–	11,710.32
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	4.75	4.75
(i)	विवादित व्यापार से प्राप्तियाँ						
	(i) माल पर विचार करना	–	–	–	–	–	–
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	–	–
		11,710.32	–	–	–	4.75	11,715.07
	संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान	–	–	–	–	4.75	4.75
	कुल योग	11,710.32	–	–	–	–	11,710.32

Note 17: रोकड़ तथा रोकड़ समान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a).	रोकड़ तथा रोकड़ समान		
	(i) बैंक शेष		
	a) चालू खाते, रोकड़ तथा रोकड़ समान, रोकड़ प्रवाह विवरण AS-3 के अनुसार	2,231.62	295.23
		2,231.62	295.23
(b).	अन्य बैंक शेष		
	(i) बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 3 माह से अधिक और 12 माह तक	7,510.75	8,316.82
	(ii) निर्धारित खाते में अवैतनिक लाभांश खातों में	18.10	21.36
		9,760.47	8,633.41

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 18 : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	(असुरक्षित एवं उचित माने गये)		
(a)	विक्रेताओं को अग्रिम	119.96	70.42
(b)	पूर्वदान्त व्यय	25.39	56.16
		145.35	126.58

Note 19 : अन्य तरल आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	(असुरक्षित एवं उचित माने गए)		
(a)	**अर्जित ब्याज** किया गया लेकिन बैंक में जमा नहीं	344.92	358.10
		344.92	358.10

Note 20 : व्यवसाय से आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a).	उत्पादों की बिक्री (नोट (i) देखें)	81,436.03	82,832.44
		81,436.03	82,832.44

Note :

विक्रय किये गए उत्पाद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(i)	**व्यावसायिक माल**		
	a) कच्चा दूध	69,837.47	71,902.98
	b) पॉलीपैक दूध	6,790.29	6,012.56
	c) दूध के उत्पाद	2,823.53	2,365.75
	d) पशु आहार	1,761.58	2,334.63
	e) वीर्य	223.16	216.52
	कुल योग	81,436.03	82,832.44

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 21 : अन्य आय

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	463.72	449.98
	(ii) अन्य जमा LIC सहित (ग्रेचुएटी और नकदीगरण)	23.33	19.17
(b)	गैर व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	13.66	14.76
	(ii) देयता जो लिखित रूप से आवश्यक नही है	7.11	75.37
	(iii) बीमा से आय	5.00	1.69
	(iv) विविध आय	7.89	25.50
		520.71	586.47

Note 22 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	कच्चा दूध	65,563.70	65,819.17
(b)	पॉली पैक दूध और दुग्ध उत्पाद	8,372.06	7,052.26
(c)	पशु आहार	1,542.66	1,979.31
(d)	वीर्य	134.02	130.24
(e)	पैकिंग सामग्री	324.58	285.96
		75,937.02	75,266.94

Note 23 : तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	वर्ष के प्रारम्भ में रहतिया	661.06	561.29
(b)	वर्ष के समापन पर रहतिया	917.21	661.06
		(256.15)	(99.77)

Note 24 : कर्मचारी हित सम्बन्धी खर्चे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	वेतन एवं मजदूरी	960.79	969.15
(b)	भविष्य निधि कोष में योगदान (नोट 28 देखें)	111.94	112.28
(c)	कर्मचारी कल्याण पर व्यय	13.96	26.86
		1,086.69	1,108.29

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 25 : वित्तीय लागत (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	व्ययों पर ब्याज		
(i)	बिल डिस्काउंटिंग	421.54	189.46
(b)	आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	0.22	1.14
		421.76	190.60

Note 26 : अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स उपभोग	201.25	463.42
(b)	पावर एवं फ्यूल	12.24	11.14
(c)	प्रसंस्करण शुल्क	406.49	465.61
(d)	किराया	171.57	164.43
(e)	दर तथा कर	1.23	2.33
(f)	मरम्मत एवं रखरखाव – मशीनरी	541.23	412.26
(g)	मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	174.03	111.49
(h)	विज्ञापन एवं व्यवसाय संवर्धन	158.97	226.43
(i)	अग्रिम भाड़ा एवं वितरण	1,835.77	2,114.94
(j)	बीमा व्यय	48.37	62.68
(k)	कानूनी और सलाहकारों का पारिश्रमिक	214.60	191.70
(l)	अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	18.74	17.35
(m)	यात्रा एवं परिवहन व्यय	204.47	212.71
(n)	मजदूरी व्यय	742.82	764.89
(o)	सम्प्रेषण व्यय	56.50	112.26
(p)	कारपोरेट सोशल उत्तरदायित्व व्यय	29.52	35.93
(q)	अन्य व्यय	81.21	62.27
		4,899.01	5,431.84

Note :

(i) अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	13.18	12.20
(b)	कर अंकेक्षण शुल्क	2.70	2.50
(c)	उपरोक्त पर वस्तु एवं सेवा कर	2.86	2.65
		18.74	17.35

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(ii) : **कारपोरेट सोशल उत्तरदायित्व व्यय विवरण –**		(राशि ₹ लाख में)
(a) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा आवश्यक सकल धनराशि	29.52	35.93
(b) वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय		
(i) किसी सम्पत्ति का निर्माण एवं अधिग्रहण	–	–
(ii) बिन्दु संख्या 1 से पृथक उद्देश्य	29.52	35.93
	29.52	35.93
(iii) अव्ययित सी.एस.आर. खाते में हस्तांतरित राशि	–	–
(iv) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गयी अतिरिक्त धनराशि	–	–
(v) अगले वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध सेट–ऑफ	–	–
(vi) सी.एस.आर. गतिविधियों की प्रवत्ति	–	–

कम्पनी ने 29.52 लाख रू. (पिछले वर्ष 35.93 लाख रू.) की धनराशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराये है।

Note 27 : आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(a)	आकस्मिक देनदारियां		
(i)	FSSAI के मामले 2006 के धारा संख्या 26(2)(ii)	46.90	44.00
(ii)	UPGST अधिनियम 2017 के अन्तर्गत CGST अधिनियम 2017	3.41	3.41
(b)	प्रतिबद्धताएं शेष बचे अनुबन्धों को अनुमानिद राशि को पूँजी खाते पर निष्पादित किया जायेगा और इसके लिए प्रदान नहीं किया जायेगा। (अग्रिम भुगतान रू. शून्य एवं पिछले वर्ष रू. 6.45)	–	6.45

Note 28 : कर्मचारी लाभ योजनाएं
कर्मचारी योगदान योजनाएं

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कंपनी दोनों की पूर्वनिर्धारित योगदान, भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते है। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू0 78.69 लाख (पिछले वर्ष 80.02 लाख रू0) की राशि को लाभ हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुस्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाएं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गयी सेवाओ के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परतंत्र के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

(i): निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	वर्ष/अवधि की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	144.66	119.10
	ब्याज लागत	10.04	7.82
	वर्तमान सेवा लागत	24.50	26.32
	लाभ का भुगतान	(4.85)	(6.69)
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर घाटा	(12.36)	(1.89)
	वर्ष के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	161.99	144.66

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(ii)	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष की शुरूआत में योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य	143.30	115.44
	योजनागत सम्पत्ति पर संभावित लाभ	8.76	7.80
	अंशदान	13.73	22.81
	लाभ का भुगतान	–	–
	निकासी	–	(2.12)
	योजना पर सम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	1.98	(0.63)
	वर्ष के अंत में योजना संपत्ति की वापसी	167.77	143.30

कम्पनी ने ग्रेच्युटी योजना के सम्बन्ध में कम्पनी के दायित्वों को पूरा करने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी ली है।

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	योजना संपत्ति की वापसी		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	8.76	7.80
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ/हानि	1.98	(0.63)
	योजना संपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	10.74	7.17

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(iv)	**आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत की गयी राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना	161.99	144.66
	सम्पत्तियों का उचित मूल्य	167.77	143.30
	आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/सम्पत्ति	(5.78)	1.36

(v) : लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	वर्तमान सेवा लागत	24.50	26.32
	व्याज लागत	10.04	7.82
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(8.75)	(7.80)
	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध वास्तविक लाभ/हानि	(14.35)	(1.26)
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	11.44	25.08

(vi) : चिट्ठे का मिलान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध दायित्व	144.66	119.10
	शुरूआती वर्ष में योजना के आकलन का उचित मूल्य	143.30	115.44
	वर्ष के प्रारम्भ में शुद्ध दायित्व	1.36	3.66
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	11.44	25.08
	योगदान	13.73	22.81
	लाभ का भुगतान	(4.85)	(6.69)
	निकासी	–	2.12
	वर्ष के अन्त में देयता (संपत्ति)	(5.78)	1.36

(vii) : मुख्य बीमांकिक अनुमान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	छूट की दर	7.37% प्रतिवर्ष	7.24% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	5.83% प्रतिवर्ष	6.20% प्रतिवर्ष
	संघर्षण दर	10.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	20.19 वर्ष	20.70 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।
सामान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(viii) : अनुभव समायोजन (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति	31 मार्च, 2019 को स्थिति
	निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	161.99	144.66	119.10	88.78	50.04
	योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	167.77	143.30	115.44	86.56	75.03
	पोषित स्थिति	(5.78)	1.36	3.66	2.22	(24.99)
	प्रतिबद्धताओं पर लाभ/हानि	12.36	1.89	(0.03)	(11.85)	2.08
	योजना सम्पत्तियों पर लाभ/हानि	1.98	(0.63)	(2.27)	(1.63)	–

(ix) मुआवजे की अनुपस्थिति के लिये देयता के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणायें उपरोक्त 7 के समान है।

Note 29 : सामाजिक सुरक्षा पर कोड–2020 (कोड) रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कर्मचारी लाभ से सम्बन्धित, सितम्बर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुयी। कोर्ड को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, हालांकि जिस तारीख को कोड लागू होगा, उसे अधिसूचित किया जाना बाकी है। जब कोड और नियमों को अधिसूचित किया जायेगा तो कम्पनी प्रभाव का आंकलन करेगी। जब कोड और नियम प्रभावी हो जायेंगे तो उस अवधि में किसी भी सम्बन्धित प्रभाव को लेखांकित करेगी।

Note 30 : लीज व्यवस्था

कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। पट्टा 9 साल की अवधि के लिए 4 साल की गैर रद्दीकरण अवधि पर है। पट्टा समझौता हर 3 साल के बाद 15% की वृद्धि के लिए मान्य है। पट्टे के खर्चे रू. 171.52 लाख (पिछले वर्ष रू.164.43 लाख जो कि लाभ और हानि चिट्ठे में वर्णित है।)

भविष्य में न्यूनतम पट्टे का भुगतान	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
एक वर्ष बाद देय नहीं	36.86	51.44
एक वर्ष बाद देय पर पाँच वर्ष बाद देय नहीं	38.34	75.20
	75.20	126.64

Note 31 : प्रति समता अंश आय

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये (लाख में)	(400.63)	834.57
	वर्ष के दौरान भारित औसत अर्द्ध समता अंशों की संख्या	संख्या (लाख में)	26.84	27.02
	प्रति समता अंश का न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश समता मूल आय	रूपये (लाख में)	(14.93)	30.88
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गए समता अंश	संख्या (लाख में)	26.97	27.09
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	(14.85)	30.80

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 32 :

वर्ष 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 के अनुपात इस प्रकार है।

क्र. सं.	अनुपात	गणना का आधार	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	उतार–चढ़ाव %
1.	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्तियाँ/दायित्व	1.60	1.71	(6.05)
2.	ऋण इक्विटी अनुपात	अन्यकालिक आधार	1.11	1.02	8.68
3.	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात (नीचे नोट A देखें)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	0.69	8.98	(92.34)
4.	इक्यूटी अनुपात पर वापसी (%) (नीचे नोट B देखें)	कर के बाद शुद्ध लाभ/औसत शेयर धरकों की इक्यूटी	(13.73)	28.55	(42.28)
5.	इक्यूटी टर्नओवर अनुपात	संचालन/औसत सूची से राजस्व	79.29	105.25	(24.67)
6.	व्यापार प्राप्त कारोबार अनुपात	संचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्त	7.35	6.57	11.86
7	व्यापार देय कारोबार अनुपात	संचालन/औसत कार्यशील पूँजी से राजस्व	23.47	23.15	1.39
8.	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	करों के बाद लाभ/संचालन से राजस्व	9.45	10.13	(6.73)
9.	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	ब्याज और कर से पहले की कमाई	(0.49)	1.01	(1.50)
10.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	लाभांश आय/औसत निवेश	(0.01)	7.03	(7.04)
11.	कम्पनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया है।	लाभांश आय/औसत निवेश	–	–	–

स्पष्टीकरण :–

1. कुल ऋण = अल्पकालिक उधार
2. ऋण चुकता करने के लिए उपलब्ध आय = टैक्स पूर्व लाख + ह्रास और ऋण मुक्त व्यय + वित्तीय लागत
3. ऋण सेवा = वित्तीय लागत
4. औसतन अंशधारक इक्विटी = (प्रारम्भिक अंशधारक फण्ड + अन्तिम अंशधारक फण्ड) / 2
5. औसतन स्टॉक = (प्रारम्भिक रहतिया + अन्तिम रहतिया) / 2
6. औसतन व्यापारिक प्राप्य = (प्रारम्भिक व्यापारिक प्राप्य + अन्तिम व्यापारिक प्राप्य) / 2
7. औसतन व्यापारिक देय = (प्रारम्भिक व्यापारिक देय + अन्तिम व्यापारिक देय) / 2
8. कार्यशील पूंजी = चालू सम्पत्ति – चालू दायित्व
9. औसतन कार्यशील पूँजी = (प्रारम्भिक कार्य पूँजी + अन्तिम कार्य पूँजी) / 2
10. ब्याज व कर से पूर्व प्राप्तियाँ = कर से पूर्व लाभ + वित्तीय लाभ
11. व्यवसाय हेतु आवश्यक मूलधन = अंशधारक इक्विटी + कुल ऋण ± विलिम्बित कर देयता/सम्पत्ति
12. कम्पनी द्वारा कोई भी विनियोजन नहीं किया गया है, अतः यह अनुपात लागू नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Notes :

A. वित्तीय वर्ष के दौरान, ऋण सेवा के लिये उपलब्ध आय में रू. 1,421.44 लाख की कमी और ऋण सेवा यानि वित्तीय लागत में रू. 231.16 लाख की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप ऋण सेवा कवरेज अनुपात में कमी हुयी है।

B. चालू वर्ष के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में शुद्ध लाभ 1,235.20 लाख रूपये कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप इक्विटी अनुपात का रिटर्न भी कम हो गया है।

Note 33 :

सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण :-

(a). सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं सम्बन्ध का स्वरूप

सम्बन्ध का स्वरूप (Nature of Relationship)	सदस्य का नाम (Name of Person)	सम्बन्ध
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	बसन्त चौधरी	मुख्य कार्यकारी

(b). उपरोक्त सम्बन्धित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन-देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है।

Nature of Transactions	(Rupees) KMP
प्रवंधक पारिश्रमिक	
बसन्त चौधरी	39.92 (35.29)

(ब्रैकेट में आँकड़ें पिछले वर्ष संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते है) (राशि ₹ लाख में)

Note 34 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत पंजीकरण आवश्यक है –

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(i) लेखा वर्ष के अन्त तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	108.48	149.61
(ii) लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को उस पर देय ब्याज का भुगतान न किया गया हो।	–	–
(iii) नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गयी ब्याज की राशि।	–	–
(iv) वर्ष के लिये देय और देय ब्याज की राशि।	–	–
(v) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि।	–	–
(vi) आगामी वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि उस तारीख तक भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक उसका ब्याज बकाया रहेगा।	–	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

प्रबंधक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग अनिधिनम, 2006 (MSMED Act) के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी बकाया नहीं है।

Note 35 :

कंपनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से सम्बन्धित है। खण्ड सूचना के लेखा मानकों AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कंपनी को कोई आवश्यक नही है, क्योंकि कंपनी एक ''व्यावसायिक गतिविधि'' से सम्बन्धित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है।

Note 36 :

31 मार्च, 2023 के लिये निदेशकों ने अपनी बैठक में जो 18 अगस्त, 2023 को हुयी थी जिसमें लाभांश 199.93 लाख (रू.7 प्रति शेयर) लाभांश शेयर धारको के साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद दिया जायेगा। इसलिए आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं किया है। प्रस्तावित लाभांश उन सभी शेयर धारकों को मिलेगा जिन्होंने अपने शेयर अंश का पूर्ण भुगतान किया हुआ है।

Note 37 :

कम्पनी ने अंश आवेदन धनराशि के रूप में रू. 50.98 लाख प्राप्त किये है। जिसका आवंटन 12 मई 2023 की बोर्ड बैठक में किया गया था।

Note 38 :

कम्पनी ने किसी विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई फंड, उधार या निवेश नहीं किया है। कम्पनी ने किसी भी पार्टी से फंड प्राप्त नहीं किया है। कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगी या निवेश करेगी या कम्पनी की ओर से या उसकी ओर से कोई गारण्टी, सुरक्षा प्रदान करेगी।

Note 39 :

पिछली अवधि के आंकड़े फिर से एकजुट कर दिया है / जहाँ आवश्यक चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के साथ अनुरूप करने के लिए पुनवर्गीकृत कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

कृते निदेशक मण्डल
ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 08277954

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

स्थान : आगरा
दिनांक : 18 अगस्त, 2023

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 12 : अचल सम्पत्ति (राशि ₹ लाख में)

	विवरण	Gross Block				Accumulated Depreciation				Net Block	
		As at April 1, 2022	Additions	Deletion	As at 31 March, 2023	As at 01 April, 2022	Depreciation Charged for the Year	Deletion	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**										
	संयंत्र एवं उपकरण	5,277.59	1.15	–	5,278.74	3,811.60	397.59	(–)	4,209.19	1,069.56	1,465.99
		(5,260.36)	(64.69)	(47.46)	(5,277.59)	(3,368.97)	(490.09)	(47.46)	(3,811.60)	(1,465.99)	(1,891.39)
	फर्नीचरण व फिक्सचर	277.08	–	–	277.08	270.11	2.48	–	272.59	4.49	6.97
		(277.08)	(–)	(–)	(277.08)	(267.63)	(2.48)	(–)	(270.11)	(6.97)	(9.45)
	दफ्तर के उपकरण	44.06	1.17	–	45.23	41.32	1.93	–	43.25	1.98	2.74
		(44.06)	(–)	(–)	(44.06)	(21.62)	(19.70)	(–)	(41.32)	(2.74)	(22.44)
	कम्प्यूटर	1,585.81	7.90	–	1,593.71	1,552.74	15.83	–	1,568.57	25.14	33.07
		(1,559.11)	(26.70)	(–)	(1,585.81)	(1,541.14)	(11.60)	(–)	(1,552.74)	(33.07)	(17.97)
	कुल (A)	7,184.54	10.22	–	7,194.76	5,675.77	417.83	–	6,093.60	1,101.17	1,508.77
		(7,140.61)	(91.39)	(47.46)	(7,184.54)	(5,199.36)	(523.87)	(47.46)	(5,675.77)	(1,508.77)	(1,941.25)
(b)	**अमूर्त सम्पत्ति**										
	(अन्य स्वयं उत्पन्न की तुलना में)										
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	349.91 (349.91)	– –	– (–)	349.91 (349.91)	349.91 (347.32)	– (2.59)	– (–)	349.91 (349.91)	– –	– (2.59)
	कुल (B)	349.91	–	–	349.91	349.91	–	–	349.91	–	–
		(349.91)	(–)	(–)	(349.91)	(347.32)	(2.59)	(–)	(349.91)	–	(2.59)
	कुल योग	7,534.45	10.22	–	7,544.67	6,025.68	417.83	–	6,443.51	1,101.17	1,508.77

नोट :

	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(i) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		
मूर्त संपत्ति	417.83	523.87
अमूर्त संपत्ति	–	2.59
कम – मूल्य ह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित अनुदान से प्राप्त कर लिया (नीचे ii देखें)	125.61	141.99
	292.22	384.47

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(ii) पूँजी अनुदान से खरीदी और टेबल के ऊपर नीचे दिए गए हैं में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण (ध्यान दें 33 देखें): (राशि ₹ लाख में)

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at 1 April 2022	Additions	As at 31 March, 2023	As at 1 April 2022	Depreciation Charged for the Year	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	1,636.33	–	1,636.33	1,009.83	125.26	1,135.09	501.24	626.50
		(1,636.33)	(–)	(1,636.33)	(884.57)	(125.26)	(1,009.83)	(626.50)	(751.76)
	फर्नीचर व फिक्सचर	33.32	–	33.32	32.97	0.35	33.32	(0.00)	0.35
		(33.32)	(–)	(33.32)	(16.24)	(16.73)	(32.97)	(0.35)	(17.08)
	दफ्तर के उपकरण	259.02	–	259.02	259.02	–	259.02	–	–
		(259.02)	(–)	(259.02)	(259.02)	–	(259.02)	–	–
	कम्प्यूटर	1,008.43	–	1,008.43	1,008.43	–	1,008.43	–	–
		(1,008.43)	(–)	(1,008.43)	(1,008.43)	–	(1,008.43)	–	–
(b)	**अमूर्त सम्पत्ति**	207.66	–	207.66	207.66	–	207.66	–	–
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	(207.66)	(–)	(207.66)	(207.66)	–	(207.66)	–	–
	योग	3,144.76	–	3,144.76	2,517.91	125.61	2,643.52	501.24	626.85
		(3,144.76)	(–)	(3,144.76)	(2,375.92)	(141.99)	(2,517.91)	(626.85)	(768.84)

(iii) पूँजी वर्ष के आंकड़े (कोष्ठक) में दर्शाए गये है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

दसवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की दसवीं वार्षिक आम सभा शनिवार, 16 सितम्बर, 2023 को पूर्वाहन 10:30 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. **31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   '' प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।''

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के प्रारक्षित निधि और अधिशेष में से रू.100/– वाले 28,56,167 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रू. 7/– प्रति समता अंश की दर से, कुल रु. 2 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **श्रीमती प्रेमलता (डी.आई.एन. : 08867165), जो ''श्रेणी सी'' के अंतर्गत आती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगीं एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) श्रीमती प्रेमलता, कंपनी की निदेशक, जो

''श्रेणी सी'' के अंतर्गत आती है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रही है तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्रीमती सुलेखा (डी.आई.एन. 10242846) को जो ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।''

4. **श्री अनरूद्ध कुमार (डी.आई.एन. 08865032), जो ''श्रेणी सी'' के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) श्री अनरूद्ध कुमार, कंपनी के निदेशक जो ''श्रेणी सी'' के अन्तर्गत आते हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही हैं, के स्थान पर श्रीमती उमा भदौरिया (डी.आई.एन. 10242870) को जो ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगी''

5. **श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. : 08526498), जो बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. : 08526498) जो बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को कंपनी में निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

6. **1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।''

7. **कंपनी के अंर्तनियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378–I और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, तथा कंपनी के बर्हिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के तहत, अंशधारकों की सहमति सहित कंपनी के अंतर्नियमों में जहाँ तक संभव हो सके, निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है –

(1) मौजूदा अनुच्छेद 4.3 (iii) में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 4.3 (iii) :– कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसकी सदस्यता को खारिज करने के लिए, कम्पनी द्वारा उसे एक लिखित नोटिस सुनवाई के अवसर के साथ जारी किया जायेगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए, बोर्ड समीक्षाधीन वर्ष में सभी सदस्यों को एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से या ई–मेल से या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक मोड से भेजा जायेगा।

तत्पश्चात, बोर्ड इस मामले पर निर्णय लेगा।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जात है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव का कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।''

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

दिनांक : 18 अगस्त, 2023
स्थान – आगरा

टिप्पणी –

1. **कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है, को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखाकर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि (Proxy) के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्यों को प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रतिनिधि फॉर्म (Proxy Form) सही तरह से भरकर, स्टॉम्प लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रतिनिधि फॉर्म का रिक्त प्रारूप संलग्न है।**

2. सदस्य/प्रतिनिधी दसवीं वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने पर उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें।

3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुये एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

4. निम्नांकित दस्तावेज सूचना पत्र के साथ संलग्न हैं–

   अ. मद संख्या 3, 4 और 5 के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण एवं मद संख्या 7 में वर्णित व्यवसाय के सम्बन्ध में विवरण।

   ब. दिनांक 23 अगस्त, 2022 को सम्पन्न हुई पूर्व वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

   स. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता, अंकेक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट।

   द. वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट।

5. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों को वार्षिक आम सभा के 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं जिससे कि सभी जानकारियाँ उन्हें आम सभा में उपलब्ध कराई जा सकें।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वह पते में हुए परिवर्तन को पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर सहित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।

7. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्य दिवसों में प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा की तिथि तक निरीक्षण किया जा सकता है।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं सोलह अंकों का सदस्यता कोड अवश्य लिखें।

9. सीमित आय (डिविडेंड) जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर पारित होता है तो उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनके नाम 31 मार्च, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत हैं।

10. सदस्यों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश) की धारा 124 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यदि सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि को उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं, तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education and Protection Fund) में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षक विधि (आई.ई.पी.एफ.) में हस्तान्तरित होने वाले अनधियाचित (अवैतनिक) लाभांश इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ के हस्तांतरण की संभावित तिथि
2015–16	10/09/2016	17/10/2023
2016–17	16/09/2017	23/10/2024
2017–18	13/09/2018	20/10/2025
2018–19	06/09/2019	13/10/2026
2019–20	02/11/2020	09/12/2027
2020–21	24/09/2021	31/10/2028
2021–22	23/08/2022	30/09/2029

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्षों से संबंधित अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है/इलैक्ट्रोनिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ हैं वे कंपनी से सम्पर्क कर सकते हैं, ताकि वे उक्त निधि में हस्तांतरण के लिए देय होने से पहले भुगतान प्राप्त कर सकें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र (सर्क्युलर) आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।

12. बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

दिनांक : 18 अगस्त, 2023
स्थान – आगरा

आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्त चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(C) और सामान्य सभा पर लागू सचिवीय मानकों के अनुसार)

मद संख्या 3, 4 और 5

बोर्ड नामांकन समिति की सिफारिश पर, श्रीमती सुलेखा (डी.आई.एन. 10242846 जो श्रेणी–सी का प्रतिनिधित्व करती हैं), श्रीमती उमा भदौरिया (डी.आई.एन. 10242870 जो श्रेणी–सी का प्रतिनिधित्व करती हैं), की नियुक्ति और श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. 08526498, जो श्रेणी–बी का प्रतिनिधित्व करते है) की पुनः नियुक्ति, करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	श्रीमती सुलेखा	**श्रीमती उमा भदौरिया**	**श्री योगेश कुमार जादौन**
उम्र	29	57	29
शैक्षिक योग्यता :	इण्टरमीडिएट	कला में स्नात्कोत्तर	विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 11 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 22 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 11 साल का अनुभव
नियुक्ति के नियम और शर्ते :	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग की और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	दसवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	दसवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	06/09/2019
निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या में भाग लिया	–	–	22
अंश पूजीधारिता :	15	15	137
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4) (f) के अनुसार मद संख्या 7 में निर्धारित मद के संबंध में विवरण।

मद संख्या : 7

सदस्यों को नोटिस भेजने के माध्यम को स्पष्ट करने के लिए, अंतर्नियम के अनुच्छेद 4.3 (iii) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों की एक प्रति प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मध्य नोटिस की तिथि से वार्षिक आम सभा की तिथि तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी का किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके किसी भी रिश्तेदार का, किसी भी प्रकार से, इस प्रस्ताव में निदेशक या हित नहीं है।

निदेशक मंडल संलग्न नोटिस के मद संख्या 7 वर्णित विशेष प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

दिनांक : 18 अगस्त, 2023
स्थान – आगरा

सहज मिल्क प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की नौवीं वार्षिक आम सभा, जो मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार हैः

उपस्थिति :

1.	श्री रजनीश कुमार	:	अध्यक्ष, अध्यक्ष (स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी) एवं अंशधारक
2.	श्री शिव प्रताप	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री उपेन्द्र सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री शिव कुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री योगेश कुमार जादौन	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री हरेन्द्र पाल सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री अनुरूद्ध कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्रीमती प्रेमलता	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्रीमती सपना	:	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री सुशील कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री श्रीराम सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
12.	श्री बसन्त चौधरी	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
13.	श्री वरूण वर्मा	:	कंपनी सचिव

श्री गौरव गजरिया, कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स एस.बी. बिल्लेमोरिया, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस के प्रतिनिधि।

सदस्य उपस्थित

व्यक्तिगत रूप से : 84

प्रतिनिधि के माध्यम से : 25,187

श्री रजनीश कुमार ने प्रातः 11:00 बजे बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्ष ने कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कंपनी सचिव से अपेक्षित सदस्यों की उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए कहा।

तत्पश्चात्, श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव, ने बताया कि उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 84 सदस्य जिनके 7,969 अंश हैं तथा प्रतिनिधित (प्रॉक्सी) के माध्यम से 25,187 सदस्य जिनके 15,02,441 अंश है उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y सपठित अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम के लिए 20,625 सदस्य होने चाहिए।

अध्यक्ष ने पाया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के अनुसार कोरम के लिए अपेक्षित न्यूनतम 20,625 सदस्य अंशधारक उपस्थित हैं तथा बैठक का कोरम पूर्ण होने की घोषणा के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

अध्यक्ष महोदय ने कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में सभी सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को अगवत कराया कि श्री सौगत मित्रा एवं श्री अनिल कुमार बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।

इसके उपरान्त, अध्यक्ष महोदय ने कंपनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़ने के साथ सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव ने घोषणा की, कि निदेशक मण्डल की समता अंशधारिता का रजिस्टर, प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का रजिस्टर, सदस्यों की समता अंशधारिता का रजिस्टर और वैधानिक रजिस्टर निरीक्षण/जाँच के लिए सभागार के प्रवेश द्वार पर उपस्थित है, जो सदस्य उसका निरीक्षण करना चाहें, वह निरीक्षण कर सकते है।

नौवीं वार्षिक आम सभा को बुलाने का नोटिस जोकि सदस्यों को पहले ही वितरित किया जा चुका था, जिसे सदस्यों की सर्व सम्मति से पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी एवं ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संदेश को सदस्यों और बैठक में उपस्थित अन्य अतिथिगण को सुनाया।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष की सहमति पर नौवीं वार्षिक आम सभा के नोटिस में निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में निम्नांकित व्यापार के बारे में चर्चा की गई :

1. **31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना।**

   श्री अश्विनी कुमार (फोलियो संख्या : 0190953) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 01/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022–23

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।''

श्री रघुवीर सिंह (फोलियो संख्या : 0070557) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।**

श्री ब्रजेश कुमार (फोलियो संख्या : 0120562) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 02/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022–23

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिवेडेंड) कंपनी की समता अंश पूँजी रूपये 7/– प्रति समता अंश की दर से, 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लाभ में से 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 29,79,374 समता अंशों पर रू. 208.56 लाख वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा। जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

श्री सुनील कुमार (फोलियो संख्या : 0133387) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. **श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. : 07464066), जो बोर्ड में ''कोई श्रेणी नहीं'' के अन्तर्गत आते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।**

श्री विकास यादव (फोलियो संख्या : 0163510) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते है ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 03/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022–23

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू हाने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश श्री अनिल कुमार, निदेशक जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्री मानिक चन्द्र (डी.आई.एन. : 09679787) को जो ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री अतर सिंह (फोलियो संख्या : 0106348) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

4. **श्री हरेन्द पाल सिंह (डी.आई.एन.: 08526484), जो बोर्ड में ''कोई श्रेणी नहीं'' के अन्तर्गत आते है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।**

श्रीमती आरती (फोलियो संख्सा : 0195599) जो ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करती हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 04/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022–23

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश श्री हरेन्द्र पाल सिंह, जो ''कोई श्रेणी नहीं'' के अन्तर्गत आते हैं, निदेशक जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. 09680147) को जो ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्रीमती नीतू (फोलियो संख्या : 0195604) जो ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करती हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

5. **श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन : 08526410) जो बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।**

श्रीमती सुनीता (फोलियो संख्या : 0025940) जो ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करती हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव

को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 05/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022–23

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410) जो बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्रीमती गुडडी देवी (फोलियो संख्या : 0098501) जो ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करती हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

6. 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

श्री रंजीत कुमार (फोलियो संख्या : 0012580) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 06/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022–23

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।''

श्री दुश्यंत कुमार (फोलियो संख्या : 0020852) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

श्री दिनेश कुमार (फोलियो संख्या : 0105182) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 07/नौंवी वार्षिक आम सभा 23.08.2022/2022–23

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378–I और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय लागू होने वाले पुर्न अध्यादेशों के साथ कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, अंशधारकों की सहमति से कंपनी के अंतर्नियमों में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है –

(1) मौजूद अनुच्छेद 4.3 (iii) में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 4.3 (iii) :– कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसकी सदस्यता को खारिज करने के लिए, कम्पनी द्वारा उसे एक लिखित नोटिस सुनवाई के अवसर के साथ जारी किया जायेगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए, बोर्ड समीक्षाधीन वर्ष में सभी सदस्यों को एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस निम्नलिखित द्वारा/के माध्यम से भेजा जायेगा :

सदस्य को उसके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत पोस्ट और भेजने के पाँच दिन बाद प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा, या इलैक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से सदस्यों को उनकी ई–मेल आईडी पर, जो कंपनी के पास पंजीकृत है तथा ई–मेल भेजने के दिन को, नोटिस प्राप्ति का दिन मान लिया जायेगा।

तत्पश्चात, बोर्ड इस मामले पर निर्णय लेगा।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 9.13 (i) :– बोर्ड मीटिंग के लिए आवश्यक कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जिसमें एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित कम से कम तीन मौजूदगी आवश्यक होगी। तथापि, यदि निदेशक मंडल में कोई विशेषज्ञ निदेशक न हो तो निदेशक मंडल की मीटिंग में कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुच्छेद 9.13 (ii) :– यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।''

श्री वीरपाल सिंह (फोलियो संख्या : 0142666) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. **अन्य कोई कार्यक्रम नहीं होने के कारण, बैठक अध्यक्ष को आभार के साथ 11:30 पर सम्पन्न हुई :**

तिथि : 23 अगस्त, 2022
स्थान : आगरा

ह./–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष
डी.आई.एन. 07894245

तिथि : 01 सितम्बर, 2022 को कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि की गई।

ह./–
कंपनी सचिव

सहज

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2023–24
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन	5.36
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	1,14,071.51
अन्य आय	रुपये लाखों में	616.57
कुल आय	रुपये लाखों में	**1,14,688.14**
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	1,01,216.29
स्थित एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	13,198.10
कुल व्यय	रुपये लाखों में	**1,14,414.39**
कर पूर्व लाभ (अ–ब)	रुपये लाखों में	**273.75**
	प्रतिशत (%)	**0.24%**

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2023–24
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	1050.58
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	89.42
दफ्तर के उपकरण	रुपये लाखों में	64.60
कुल व्यय	रुपये लाखों में	**1204.60**

सहज

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. 0562–6623300
E-mail info@saahajmilk.com, Website www.saahajmilk.com

फॉर्म संख्या एम.जी.टी.–11

प्रतिनिधि फॉर्म (प्रॉक्सी फॉर्म)
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई. एन.	:	U01403UP2014PTC066595
कंपनी का नाम	:	सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय	:	क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा–बोदला रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
सदस्य(यों) का नाम	:	
रजिस्ट्रीकृत पता	:	
ई–मेल पता	:	
फोलियो संख्या	:	

मैं/हम .... उपर्युक्त नामक कंपनी के अंशों (शेयरों) के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते है –

1. नाम :
   पता :
   ई–मेल पता :
   हस्ताक्षर : .... या उनके न होने पर
2. नाम :
   पता :
   ई–मेल पता :
   हस्ताक्षर : ....

दिनांक 16 सितम्बर, 2023 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 10:30 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों (प्रस्तावों) के संबंध या उसके स्थान में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मतदान देंगे (मतदान में) :

मद संख्या	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विरोध में	तटहस्थ
1.	31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना।			
2.	कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।			
3.	श्री अनरूद्ध कुमार (डी.आई.एन. : 08865032), जो ''श्रेणी–सी'' के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
4.	श्रीमती प्रेमलता (डी.आई.एन. : 08867165), जो ''श्रेणी–सी के अन्तर्गत आती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगीं।			
5.	श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन.: 08526498), जो बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।			
6.	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
7.	कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार करना।			

................................, 2023 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

टिकट चस्पा करें।

प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर

टिप्पणी : यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण एवं कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

सहज

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail info@saahajmilk.com, Website www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

दसवीं वार्षिक आम सभा – 16 सितम्बर, 2023

रजिस्टर्ड फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
16 अंकों का सदस्य कोड	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी का एक पंजीकृत सदस्य/पंजीकृत सदस्य/(सदस्यों) का प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) हूँ। मैं एतद्द्वारा होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में शनिवार, 16 सितम्बर 2023 को सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का नाम

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

नोट : सदस्यों/प्रॉक्सी धारकों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची को वार्षिक आम सभा में लाएं और इसे विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप

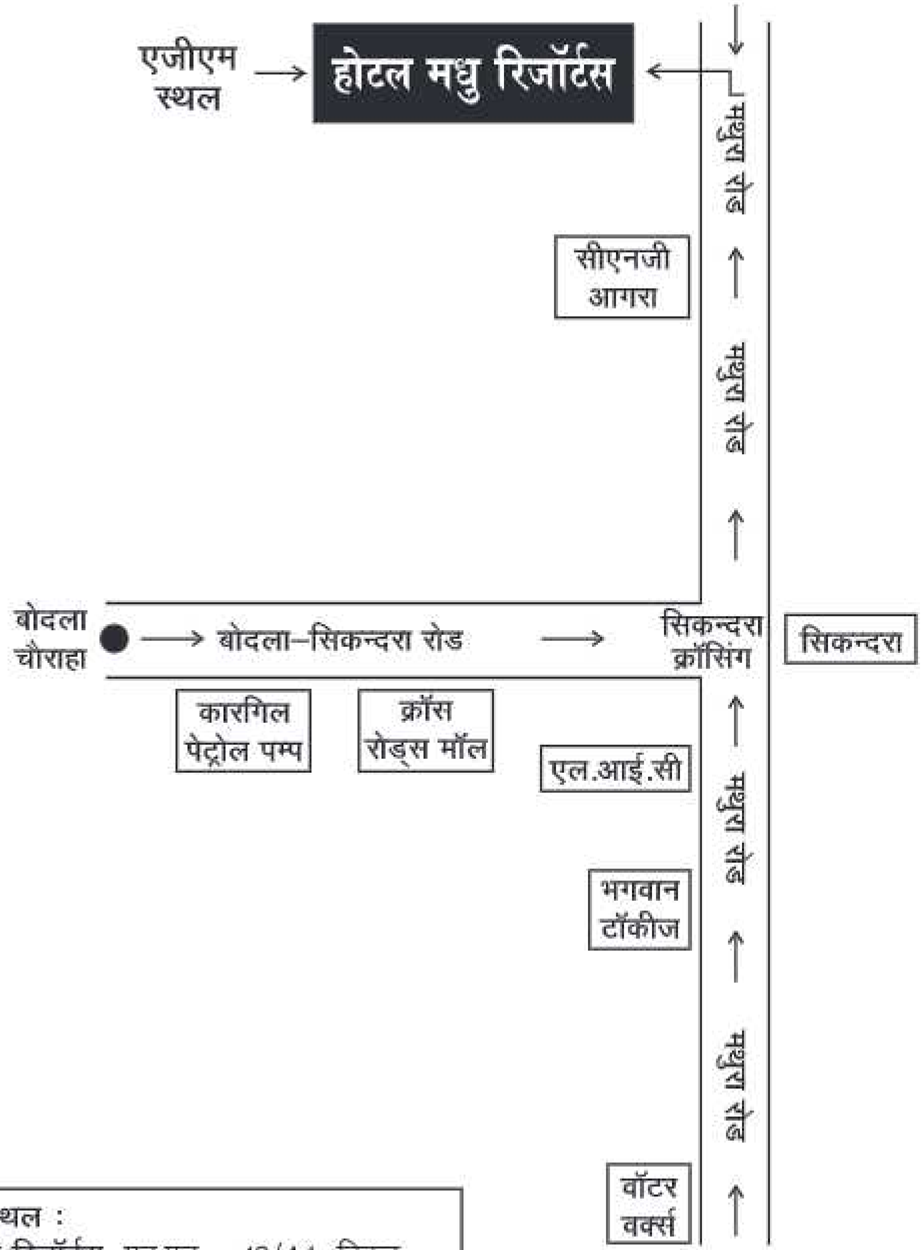

एजीएम स्थल :
होटल मधु रिजॉर्टस, एन.एच. – 19/44, निकट सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश–282007

सहज सुदाना अपनाने के फायदे

- BIS मानकों के अनुरूप संतुलित पशु आहार
- दुग्ध उत्पादन लागत में कमी
- स्वस्थ पशु
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- दूध के फैट और एस.एन.एफ. में सुधार

सहज शुद्ध दानेदार देशी घी

सहज मिन अपनाने के फायदे

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना के अनुरूप तैयार किया गया चिलेटेड क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण
- स्वस्थ नवजात बछिया/पड़िया
- बछिया/पड़िया में बेहतर वृद्धि जिससे कम समय में प्रजनन योग्य
- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- नर एवं मादा पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार
- ब्यांत अंतराल में कमी
- दूध एवं फैट में वृद्धि

बुक–पोस्ट

प्रेषक :
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय :– क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना
सिकन्दरा बोदला रोड, आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com
(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेंजे)